

निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाने एवं भांडागारों के निरीक्षण संबंधी दिशानिर्देश

**भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण,
भारत सरकार**

दिनांक: 26 दिसम्बर, 2018

विषय-सूची

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और उद्देश्य
2. परिभाषाएं

अध्याय II

निरीक्षणों के लिए अधिकृत व्यक्ति

3. निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिकृत करने संबंधी पत्र की आवश्यकता

अध्याय III

निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाना

4. निरीक्षण एजेंसियों के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित करना
5. आवेदन प्रस्तुत करना
6. आवेदन की पावती
7. पैनल के लिए अयोग्य व्यक्ति

8. आवेदकों की पात्रता और आवेदनों का मूल्यांकन
9. निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाना
10. आवेदन को रद्द करने की प्रक्रिया
11. प्रतिभूति जमा

अध्याय IV

निरीक्षण प्रक्रियाएं, निरीक्षण एजेंसियों, भांडागारपाल और प्राधिकरण के अधिकार और दायित्व

12. प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भांडागारपालों और भांडागारों की सामान्य निरीक्षण की प्रक्रियाएं
13. भांडागार के भौतिक निरीक्षण की प्रक्रिया
14. औचक निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति
15. निरीक्षण एजेंसियों के दायित्व
16. निरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में भांडागारपाल के अधिकार और दायित्व
17. निरीक्षण की तारीख बदलने के लिए भांडागारपाल द्वारा अनुरोध
18. भांडागार के निरीक्षण के लिए भांडागारपाल द्वारा मना करना तथा इस तरह के इनकार के परिणाम

अध्याय V

निरीक्षण के लिए भुगतान

19. निरीक्षण के लिए निरीक्षण एजेंसी को प्राधिकरण द्वारा शुल्क का भुगतान
20. कुछ मामलों में निरीक्षण का खर्च भांडागारपाल द्वारा वहन किया जाना

अध्याय VI

पैनल का निलंबन, निरस्तीकरण तथा पैनल से नाम वापस लेना

21. पैनल का निलंबन

22. निलंबन का प्रभाव
23. निलंबन की स्थिति में प्राधिकरण की शक्ति
24. निलंबन का निरसन
25. निरीक्षण एजेंसी द्वारा नाम वापस लेने के लिए अनुरोध
26. पैनल को रद्द करना
27. अपील

अध्याय VII

अनुसूची

- अनुसूची 1. निरीक्षण एजेंसियों के इमपैनेल के लिए आवेदन पत्र
- अनुसूची 2. निरीक्षण एजेंसी के रूप में पात्रता मानदंड
- अनुसूची 3. प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण एजेंसी को किए जाने वाले शुल्क का भुगतान
- अनुसूची 4. भांडागारों के भौतिक निरीक्षण की प्रक्रिया
- अनुसूची 5. भांडागारों के सामान्य निरीक्षण के लिए प्रणाली / प्रक्रिया / मानक

अध्याय 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त का नाम और उद्देश्य

1) इन दिशानिर्देशों को निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाना तथा भांडागारों के निरीक्षण संबंधी दिशानिर्देश कहा जाएगा।

2) इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य प्राधिकरण द्वारा भांडागारों के स्वयं निरीक्षण के लिए या पैनल में रखी गयी निरीक्षण एजेंसियों के माध्यम से निरीक्षण की सुपरिभाषित रूपरेखा स्थापित करना है। तदनुसार, ये दिशा-निर्देश निरीक्षण के प्रकारों को परिभाषित करते हैं, निरीक्षण की प्रक्रियाओं और चेक लिस्ट को निर्धारित करते हैं, निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाने और उनकी कार्यप्रणाली की निगरानी करते हैं।

2. परिभाषाएँ

1) इन दिशानिर्देशों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) "अधिनियम" का अर्थ भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) है

(ख) "सहबद्ध" का अर्थ है -

i. आवेदक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति या उनके कोई रिश्तेदार जो प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति हैं;

ii. किसी पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निर्देश अनुदेश को छोड़कर, कोई कंपनी जिसमें आवेदक या उसका कोई प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति सदस्य या निदेशक है; कोई व्यक्ति जिसकी सलाह, निदेशो या अनुदेशों पर आवेदक या उसके किसी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को कार्य करने के लिए अधिकृत किया जाता है,

iii. कोई भी कंपनी जो -

1) आवेदक की होल्डिंग, सहायक या सहयोगी कंपनी; या

2) होल्डिंग कंपनी की एक सहायक कंपनी जिसके लिए आवेदक भी एक सहायक कंपनी है।

(ग) "आवेदक" का अर्थ है कि प्राधिकरण को आवेदन करने वाला व्यक्ति जो इन दिशानिर्देशों के खंड 5 के तहत एक निरीक्षण एजेंसी के रूप में पैनल में रखने की मांग करता है;

- (घ) "प्राधिकरण" का अर्थ अधिनियम के तहत स्थापित भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण है;
- (ङ) "प्राधिकार पत्र" का अर्थ प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र है, जो निरीक्षण एजेंसी या प्राधिकरण के किसी कर्मचारी को भांडागार का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित करता है और इन दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक विवरण शामिल करता है।
- च) "विसंगति नोट" का अर्थ भांडागारपाल या उसके प्रतिनिधि को जारी किया गया नोट है जो निरीक्षण स्थल पर निरीक्षण अधिकारी द्वारा भांडागार के काम में प्रमुख गैर-अनुपालन को उजागर करता है
- छ) "अनुवर्ती निरीक्षण" का अर्थ अधिनियम, नियम, विनियम और दिशा-निर्देश के प्रावधानों के अंतर्गत गत निरीक्षण रिपोर्ट में रेखांकित गैर अनुपालनों के संबंध में प्राधिकरण के मूल्यांकन के आधार पर किया जाने वाला निरीक्षण है
- ज) "सामान्य निरीक्षण" का अर्थ उस निरीक्षण से है, जो भौतिक निरीक्षण के किसी एक या सभी पहलुओं, एस ओ पी के पालन तथा भांडागार में माल की मात्रा और गुणवत्ता के सत्यापन को शामिल करता है,
- झ) "दिशानिर्देश" का अर्थ प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए और समय - समय पर संशोधित दिशानिर्देश हैं ।
- (ञ) एक या एक से अधिक कंपनियों के संबंध में "होल्डिंग कंपनी" का अर्थ है वह कम्पनी जिसकी वे सहायक कंपनियां हैं।
- ट) "निरीक्षण" का अर्थ अधिनियम, नियम, विनियम और दिशानिर्देश / परिपत्र के प्रावधानों के अनुपालन के आकलन के लिए किसी भांडागार की जांच, स्टॉक और उपकरणों का भौतिक सत्यापन और उनकी जांच, एक या अधिक भांडागारों अन्य कार्यालय या भांडागारपाल के परिसर से रिकॉर्ड, दस्तावेज, नमूने और रिकॉर्ड संबंधी जानकारी प्राप्त करना है।
- ठ) "निरीक्षण एजेंसी" का अर्थ कोई एजेंसी जिसका गठन चाहे जो है, इन दिशानिर्देशों के खंड 9 के तहत प्राधिकरण के साथ सहसंबद्ध एजेंसी से है।
- ड) "निरीक्षण अधिकारी" का अर्थ है प्राधिकरण का कर्मचारी या निरीक्षण एजेंसी का कर्मचारी जो इन दिशानिर्देशों के अनुसार किसी भांडागार का निरीक्षण करेगा।
- ढ) आवेदक या निरीक्षण एजेंसी के संबंध में, "प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति" का अर्थ है-
- i. यदि आवेदक या कोई निरीक्षण एजेंसी एक साझेदारी फ़र्म है, तो प्रत्येक भागीदार जो इसकी पंजीकृत साझेदारी विलेख में उल्लिखित है;

ii. यदि आवेदक या कोई निरीक्षण एजेंसी या कोई सोसाइटी है, तो अध्यक्ष, सचिव और सोसाइटी के कोषाध्यक्ष और उसके शासी निकाय का प्रत्येक सदस्य;

iii. यदि आवेदक कोई कंपनी है तो:-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक;
2. कंपनी सचिव;
3. प्रत्येक निदेशक; तथा
4. मुख्य वित्तीय अधिकारी।

(ण) "नेटवर्थ" का अर्थ है-

i. किसी कंपनी के लिए, संपरीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार प्रदत्त शेयर पूंजी और लाभ और प्रतिभूति प्रीमियम लेखे से संचित हानियों के सकल मूल्य, अस्थगित व्यय और बड़े खाते में न डाले गए प्रकीर्ण व्यय को घटाकर किन्तु इसके अंतर्गत आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन और अवक्षयण का प्रतिलेखन और समामेलन सम्मिलित नहीं है, और;

ii. किसी भागीदारी फर्म, व्यष्टि, सोसाइटी या एकल सांपत्तिकता के लिए संदत्त पूंजी और अरक्षितियों का सकल है;

(त) "आदेश" का अर्थ प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया आदेश है जो लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है और इन दिशानिर्देशों के तहत प्राधिकरण का निर्णय सूचित करता है।

(थ) "भौतिक निरीक्षण" का अर्थ भांडागार के भौतिक निरीक्षण से है जिसके अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अपेक्षाओं और भांडागार के भौतिक पैरामीटर देखना है।

(द) "संबंधी" का अर्थ कोई संबंधी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित है

(ध) "कारण बताओ नोटिस" का अर्थ प्राधिकरण द्वारा जारी कोई लिखित या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस है जो कि-

- I. प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई बताता है;
- II. प्रस्तावित कार्रवाई की आवश्यकता वाले कारणों को बताता है; तथा
- III. समय सीमा प्रदान करता है जिसके भीतर ऐसे नोटिस का जवाब दिया जाना है;
- IV. कारण बताओ नोटिस जवाब देने का तरीका प्रदान करता है, जिसमें उत्तर व्यक्तिगत रूप से या लिखित अभ्यावेदन या दोनों के माध्यम से मांगे जाते हैं।

न) "मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)" का अर्थ है निम्नलिखित विषयों के संबंध में प्रक्रियाओं, कार्य और जिम्मेदारियां:

- I. माल जमा करना और डिलीवरी देना;
 - II. उद्योग के मानकों के अनुसार जमा किए जाने वाले सामानों को तौलने, नमूना लेने की प्रक्रिया;
 - III. माल की गुणवत्ता के सत्यापन के लिए प्रक्रिया और जमाकर्ता को सूचना प्रदान करना;
 - IV. भांडागारपाल के प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकृत व्यक्तियों के विवरणों की प्रक्रिया रखना, जो इलेक्ट्रॉनिक परक्राम्य भांडागार रसीद जारी कर सकते हैं;
 - V. आग, चोरी, सेंधमारी आदि से माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया;
 - VI. माल के वैज्ञानिक भंडारण के लिए प्रक्रिया, जिसमें स्टैकिंग भी शामिल है;
 - VII. न्यूनतम कॉमन फेक्टर तक संग्रहीत माल की स्पष्ट पहचान के लिए प्रक्रिया (उदाहरण के लिए लॉट साइज);
 - VIII. आग, बाढ़, चोरी, सेंधमारी धोखाधड़ी, लापरवाही और अन्य घटनाओं के कारण होने वाले नुकसान के निर्धारण की प्रक्रिया;
 - IX. स्टॉक के आंतरिक सत्यापन के लिए प्रक्रिया;
 - X. शिकायत निवारण के लिए प्रक्रिया; तथा
 - XI. कर्मचारियों की भूमिका और जिम्मेदारियां (आउटसोर्स कर्मचारियों सहित)।
- (प) एनडबल्यूआर/ ईएनडबल्यूआर जारी करने वाले पंजीकृत भांडागार के "स्टॉक निरीक्षण" का अर्थ है भांडागारो का भौतिक रूप से परिलक्षित स्टॉक की कुल मात्रा एवं गुणवत्ता को सत्यापित करने के लिए एनडबल्यूआर/ ईएनडबल्यूआर की जाँच करना।
- (फ) किसी अन्य कंपनी के संबंध में "सहायक" (जैसे कि होल्डिंग कंपनी), एक ऐसी कंपनी है जिसमें होल्डिंग कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे के माध्यम से सहायक है: -
- I. निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करती है, इस तरह का नियंत्रण ऐसे मामलों में निहित है, जहां होल्डिंग कंपनी द्वारा कुछ शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। वह अपने विवेक से सभी या अधिकांश निदेशकों को नियुक्त या हटा सकती है; या

- II. स्वयं या एक से अधिक सहायक कंपनियों के साथ कुल शेयर पूंजी के आधे से अधिक हिस्से को नियंत्रित करती है ।
- (ब) "औचक निरीक्षण" का अर्थ है भांडागारपाल को अग्रिम सूचना के बिना भौतिक निरीक्षण और किसी एक या सभी पहलुओं को कवर करने के लिए भांडागार का सामान्य निरीक्षण।
- 2) इन दिशानिर्देशों में प्रयोग किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उनका अधिनियम में है।

अध्याय II

निरीक्षण के लिए अधिकृत व्यक्ति

3. निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता

- 1) कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के प्राधिकार पत्र के बिना कोई निरीक्षण नहीं करेगा।
- 2) प्राधिकरण केवल निरीक्षण एजेंसी या प्राधिकरण के अपने कर्मचारी जिसे निरीक्षण करने का कार्य सौंपा गया है, को प्राधिकार पत्र जारी करेगा।
- 3) प्राधिकरण या निरीक्षण एजेंसी कोई निरीक्षण करने के लिए एक या अधिक निरीक्षण अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर सकता है
- 4) प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र के माध्यम से निरीक्षण एजेंसी या इसके कर्मचारी से एक या अधिक के संबंध में निम्नलिखित निरीक्षण अपेक्षा होगी-

(क) भौतिक निरीक्षण;

(ख) स्टॉक निरीक्षण;

(ग) सामान्य निरीक्षण।

अध्याय III

निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाना

4. निरीक्षण एजेंसियों के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित करना

- 1) प्राधिकरण समय समय पर अपनी वेबसाइट के माध्यम से इस उद्देश्य के लिए आमंत्रित किए गए आवेदनो के पश्चात निरीक्षण एजेंसियों का पैनल बनाएगा।

2) प्राधिकरण किसी व्यक्ति को निरीक्षण एजेंसी के रूप में तब तक पैनल में नहीं रखेगा जब तक कि उसने इस संबंध में आवेदन के लिए कॉल न किया हो।

5. आवेदन प्रस्तुत करना

1) आवेदक अनुसूची 1 में निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

2) प्राधिकरण आवेदन को तभी पूरा मानेगा जब निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी -

क) आवेदक द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से पैनल के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है;

ख) आवेदक इन दिशानिर्देशों की अनुसूची 1 के तहत आवश्यक सभी दस्तावेजों को जमा करता है; तथा

ग) आवेदक ने दस हजार रुपये अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का प्राधिकरण को भुगतान किया है।

घ) आवेदक यह घोषणा करता है कि प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भांडागार या कोई भांडागार जिनका पंजीकरण कराया जाना है, उनके साथ हितों का टकराव नहीं है।

3) प्राधिकरण आवेदक से अतिरिक्त सूचना मांग सकता है। आवेदक समय के भीतर इस तरह की जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

6. आवेदन की पावती

1) प्राधिकरण आवेदन की प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर आवेदक को पावती भेजेगा।

2) इमपैनलमेंट के लिए आवेदन जमा करना ही प्राधिकरण को बाध्य नहीं करेगा कि उसे दिशानिर्देशों के तहत आवेदक को निरीक्षण एजेंसी के रूप में सूचीबद्ध करना है।

7. पैनल के लिए अपात्र व्यक्ति

1) कोई भी व्यक्ति जिसे भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी भी या सरकारों से जुड़े किसी भी संगठन द्वारा ब्लैकलिस्ट किया गया हो, तो उसे निरीक्षण एजेंसी के रूप में पैनल के लिए वंचित किया जाएगा।

2) कोई भी व्यक्ति जिसका पैनल में डालना किसी भी कारण से प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया है उसे रद्द करने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पैनल में नहीं डाला जाएगा।

3) कोई भी भांडागारपाल जो पहले से ही अधिनियम के तहत प्राधिकरण के साथ पंजीकृत है।

8. आवेदकों की पात्रता और आवेदनों का मूल्यांकन

- 1) प्राधिकरण आवेदनो का मूल्यांकन तभी करेगा जब वे खंड 5 (2) के अनुसार पूर्ण होंगे।
- 2) यदि आवेदन इन दिशानिर्देशों की अनुसूची-2 के मानदंडों के आधार पर है और प्राधिकरण संतुष्ट है कि आवेदक अनुसूची-2 में दिए गए मानकों के अनुसार है, तभी पात्रता के लिए मूल्यांकन किया जाएगा।

9. निरीक्षण एजेंसियों को पैनल में रखना

- 1) यदि प्राधिकरण आवेदक को सूचीबद्ध करने का फैसला करता है, तो वह आवेदक को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक सूचना जारी करेगा और प्रतिभूति जमा राशि प्रस्तुत करने के लिए खंड 12 के अनुसार पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर या प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई समय अवधि के भीतर कहेगा।
- 2) यदि आवेदक ऐसी समयावधि के भीतर प्रतिभूति जमा करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण द्वारा आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।
- 3) यदि आवेदक खंड 12 के अनुसार प्रतिभूति राशि जमा करता है, तो यह निरीक्षण एजेंसी के रूप में आवेदक को इमपनेलमेंट की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पैनल में रखेगा जब तक इस तरह के इमपनेलमेंट से नाम वापिस नहीं लिया जाता या इसे अवधि से पहले रद्द नहीं किया जाता है।

10. आवेदनों की अस्वीकृति के लिए प्रक्रिया

1. यदि प्राधिकरण पाता है कि आवेदक खण्ड 8 के तहत आवेदक पात्रता आवश्यकताएँ पूरा नहीं करता है तो वह किसी आवेदन को रद्द कर सकता है।
2. यदि आवेदक द्वारा खंड 5 के तहत प्रस्तुत कोई सूचना गलत पाई जाती है तो प्राधिकरण आवेदन को रद्द कर सकता है।
3. प्राधिकरण किसी आवेदन को रद्द कर सकता है यदि आवेदक खंड 5 (3) के तहत निर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राधिकरण द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है।
4. प्राधिकरण किसी आवेदन को रद्द कर सकता है यदि वह आवेदक को खंड 7 के अंतर्गत अयोग्य पाता है।
5. प्राधिकरण किसी अन्य आधार पर किसी आवेदन को रद्द कर सकता है, यदि वह लिखित में दर्ज करने के बाद संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है।
6. प्राधिकरण, आवेदन को रद्द करने से पहले, आवेदक को अभ्यावेदन के लिए कम से कम पंद्रह कार्यदिवस के लिए सूचना जारी करेगा।

7. आवेदक द्वारा खंड 10 (6) के तहत अभ्यावेदन लिखित रूप में किया जाएगा।
8. यदि प्राधिकरण ने आवेदक को अभ्यावेदन प्रदान करने के लिए समय प्रदान किया है, तो प्राधिकरण आवेदक द्वारा दिए अभ्यावेदन पर गुणावगुण आधार पर निर्णय करेगा।
9. यदि खंड 10 (6) के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है, तो प्राधिकरण आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

11. प्रतिभूति जमा

1. आवेदक को पांच लाख रुपये की प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी और इसे प्राधिकरण द्वारा बताई गई अवधि के दौरान रखना होगा।
2. प्रतिभूति जमा, कमर्शियल अनुसूचित बैंक द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में होगी जो कि इमपैनलमेंट की अवधि के लिए मान्य होगी।
3. प्राधिकरण प्रतिभूति जमा जारी करेगा यदि -
 - क) कोई निरीक्षण एजेंसी अपने नाम को वापस ले लेती है और प्राधिकरण संतुष्ट हो जाता है कि इन दिशानिर्देशों के तहत निरीक्षण एजेंसी ने आवश्यकताओं के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किया; या
 - ख) निरीक्षण एजेंसी के इमपैनलमेंट की अवधि समाप्त हो गई है और प्राधिकरण संतुष्ट है कि इन दिशानिर्देशों के तहत निरीक्षण एजेंसी ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है।

अध्याय IV

निरीक्षण प्रक्रियाएँ, निरीक्षण एजेंसियों, भांडागारपाल और प्राधिकरण के अधिकार और दायित्व

12. प्राधिकरण के साथ पंजीकृत भांडागारो के लिए सामान्य निरीक्षण प्रक्रिया

- 1) निरीक्षण एजेंसी प्राधिकार पत्र की प्राप्ति के दस कार्य दिवसों के भीतर निरीक्षण करेगी या ऐसे समय के भीतर जो प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
- 2) असाधारण मामलों में, प्राधिकरण को निरीक्षण के प्राधिकार पत्र की प्राप्ति के दस से कम कार्य दिवसों में निरीक्षण एजेंसी द्वारा निरीक्षण करने की आवश्यकता हो सकती है।
- 3) प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण एजेंसी या अपने स्वयं के निरीक्षण अधिकारियों के लिए इस तरह जारी किए गए प्राधिकार पत्र में निम्नलिखित सूचनाएँ शामिल होंगी-
 - क) भांडागार/रों और भांडागारपाल का नाम और पता;

ख) निरीक्षण का प्रकार (भौतिक निरीक्षण, स्टॉक निरीक्षण, सामान्य निरीक्षण) जिसे अंजाम दिया जाना है।

ग) निरीक्षण की प्रकृति चाहे वह पूर्व सूचना के हो या बिना सूचना के

- 4) निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षण के पूरा होने के पाँच दिनों के भीतर या प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए समय में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- 5) प्राधिकरण निरीक्षण के लिए आवश्यक प्राधिकार पत्र के अतिरिक्त दस्तावेजों और सूचनाएँ भेज सकता है जिसमें अन्य विवरण जैसे भांडागारपाल और भांडागार का विवरण, पिछली निरीक्षण रिपोर्ट, मानक प्रचालन प्रक्रिया और अन्य प्रासंगिक जानकारी शामिल होंगी।
- 6) जब तक कि इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट न हो, निरीक्षण एजेंसी या प्राधिकरण, जैसा कि मामला हो, निरीक्षण से पहले भांडागारपाल को कम से कम दो कार्य दिवसों का नोटिस देगा;
- 7) निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण स्थल पर प्राधिकार पत्र और अपने क्रेडेंशियल भांडागारपाल या प्रतिनिधि को प्रस्तुत करने होंगे;
- 8) निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षण शुरू होने से पहले निरीक्षण स्थल पर निरीक्षण प्रक्रिया को भांडागारपाल या उसके प्रतिनिधि को समझाएगा;
- 9) निरीक्षण, भांडागारपाल या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा।
- 10) निरीक्षण शुरू होने के समय निरीक्षण अधिकारी द्वारा भौतिक निरीक्षण / सामान्य निरीक्षण के लिए, भांडागार/परिसर का वाक-थू किया जाएगा।
- 11) निरीक्षण के अंत में, भांडागारपाल या उसके प्रतिनिधि घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए प्रमाणित करेंगे: -
 - I. वह पूरे निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे; तथा
 - II. निरीक्षण प्रक्रिया के साथ-साथ जो विसंगतियाँ या गैर-अनुपालन थे, निरीक्षण अधिकारी द्वारा उसे समझाए गए; तथा
 - III. निरीक्षण अधिकारी ने उसे विसंगति नोट जारी किया है।
- 12) निरीक्षण अधिकारी, मांगे गए सभी दस्तावेजों और निरीक्षण के दौरान सभी जानकारी जो मांगी गई, प्रस्तुत की गई, तथा निरीक्षित की गई, का लिखित रिकॉर्ड तथा मांगी गई लेकिन उपलब्ध नहीं कराई गई का रिकॉर्ड रखेगा। ऐसे रिकॉर्ड को निरीक्षण रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण को भेजा जाएगा।

- 13) यदि निरीक्षण अधिकारी कोई भी नमूना, रिकॉर्ड या दस्तावेज भांडागार से एकत्र करता है तो वह इसके लिए भांडागारपाल या उसके प्रतिनिधि को रसीद देगा। नमूने लेने की प्रक्रिया समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी की गई चेकलिस्ट, परिपत्र या नियमावली के अनुसार होगी।
- 14) निरीक्षण अधिकारी प्राधिकरण पत्र की आवश्यकताओं के अनुसार निरीक्षण पूरा करेगा की अनुसूची 6 और 7 द्वारा निर्धारित किए अनुसार ऑनलाइन प्रारूप में प्राधिकरण को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- 15) उन मामलों में, जहां निरीक्षण के भाग के रूप में नमूनों के परीक्षण की आवश्यकता होती है, ऐसे परीक्षणों के परिणामों को निरीक्षण के दस दिनों के भीतर प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा।
- 16) बीआईएस प्रक्रिया के अनुसार नमूनों का संग्रह और विश्लेषण किया जाएगा। आम तौर पर डुप्लिकेट नमूने भांडागारपाल या उनके प्रतिनिधि और निरीक्षण अधिकारी के साथ संयुक्त रूप में एकत्र किए जाएंगे। प्रतिनिधि नमूनों में से एक का उपयोग भौतिक गुणवत्ता मापदंडों के परीक्षण के लिए किया जाएगा, जबकि दूसरा वैदर प्रूफ पैकिंग में संयुक्त रूप से सील किया जायेगा और संदर्भ नमूना किसी भी विवाद के मामले में इस्तेमाल किए जाने हेतु भांडागारपाल के पास छोड़ दिया जाएगा। वस्तु की प्रकृति के अनुसार यदि रासायनिक परीक्षण आवश्यक हो, तो प्रतिनिधि नमूने ट्रिपलेट में होंगे, पहला नमूना भौतिक परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरा संयुक्त रूप से सील कर नमूना रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और शेष को संयुक्त रूप से वैदर प्रूफ पैकिंग में सील कर दिया जाएगा और संदर्भ नमूने को विवाद के मामले में इस्तेमाल करने के लिए भांडागारपाल के पास छोड़ दिया जाएगा।
- 17) यदि स्टॉक एनडब्ल्यूआर/ ईएनडब्ल्यूआर के अंतर्गत आता है तो स्टॉक के समापन तक प्रतिनिधि नमूने को भांडागारपाल द्वारा संरक्षित किया जाएगा।
- 18) यदि किसी भी रासायनिक परीक्षण की आवश्यकता है, तो यह सरकार या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त / एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से किया जाएगा। रासायनिक विश्लेषण के लिए निर्धारित शुल्क डब्ल्यूडीआरए द्वारा वहन किया जाएगा। शुल्क का भुगतान निरीक्षण एजेंसी करेगी और धारा 19(1) में उल्लिखित उनके मासिक चालान के माध्यम से प्राधिकरण से दावा करेंगी।
- 19) यदि प्राधिकरण को आवश्यकता होगी, तो निरीक्षण एजेंसी या उसके अधिकारी से निरीक्षण रिपोर्ट पहले जमा करने के लिए कह सकता है, और निरीक्षण एजेंसी को ऐसे दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा।

13. भांडागार के भौतिक निरीक्षण की प्रक्रिया

भांडागारण (विकास और विनियमन) पंजीकरण नियम, 2017 के नियम 9 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सभी भांडागारों के भौतिक निरीक्षण किए जाएंगे।

14. औचक निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण की शक्ति

- 1) प्राधिकरण अपने स्वयं के निरीक्षण अधिकारी या निरीक्षण एजेंसी के माध्यम से किसी भांडागार का औचक निरीक्षण कर सकता है।
- 2) निम्नलिखित मामलों में प्राधिकरण द्वारा किसी भांडागार का औचक निरीक्षण किया जा सकता है:

क) यदि प्राधिकरण को भांडागार या भांडागारपाल से संबंधित शिकायतें मिलती हैं।

ख) यदि पिछले निरीक्षणों के दौरान गंभीर विसंगतियों का पता चला है।

ग) यदि प्राधिकरण एनडबल्यूआर/ ईएनडबल्यूआर में निहित जानकारी में विसंगतियां जैसे कि स्टॉक के मूल्य, गुणवत्ता, मात्रा इत्यादि है, या किसी भी असामान्य लेनदेन को नोटिस करता है।

3) प्राधिकरण को इस तरह के निरीक्षण के संबंध में किसी भांडागार के औचक निरीक्षण के लिए कोई पूर्व सूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

4) निरीक्षण अधिकारी, प्राधिकार पत्र की आवश्यकताओं के अनुसार निरीक्षण पूरा करेगा और हस्ताक्षर करने के बाद डब्ल्यूडीआरए पोर्टल पर दी गई अनुसूची 6 के तहत निरीक्षण पूरा करने के पांच दिनों के भीतर ऑनलाइन प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5) यदि प्राधिकरण को आवश्यकता होती है, तो वह निरीक्षण एजेंसी को अपनी निरीक्षण रिपोर्ट पहले प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है और निरीक्षण एजेंसी ऐसे दिशानिर्देश का अनुपालन करेगी।

15. निरीक्षण एजेंसियों का दायित्व

- 1) निरीक्षण एजेंसी प्राधिकरण से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के बाद और पत्र में निहित निर्देशों के अनुसार भांडागार का समुचित निरीक्षण करेगी।
- 2) निरीक्षण एजेंसी, निरीक्षण को किसी अन्य एजेंसी के लिए आउटसोर्स नहीं करेगी, और सभी निरीक्षण रिपोर्ट और सूचनाएँ इन दिशानिर्देशों के तहत निरीक्षण एजेंसी के नाम और प्राधिकार के तहत होंगी।

- 3) निरीक्षण एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि इसके सभी कर्मचारीयो के साथ हर समय एक वैध गैर-प्रकटीकरण समझौता हो, जो उन्हें इन दिशानिर्देशों के तहत निरीक्षण के दौरान एकत्रित किसी भी जानकारी का खुलासा करने से रोके, सिवाय इसके आवश्यक होने पर अदालत, ट्रिब्यूनल या कानून प्रवर्तन एजेंसी के आदेश पारित न किया गया हो।
- 4) निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित इमपैनेल के समय या समय-समय पर किया जाएगा।
- 5) यदि कोई निरीक्षण एजेंसी निरीक्षण अधिकारियों की सूची में जोड़ना चाहती है, तो उसे प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए प्राधिकरण को ऑनलाइन अनुरोध प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के साथ प्रस्तुत करना होगा। प्राधिकरण स्वयं को संतुष्ट करने के बाद ऐसे निरीक्षण अधिकारी को मंजूर कर सकता है बशर्ते कि व्यक्ति दिशानिर्देशों की अनुसूची 2 के अनुसार निर्धारित योग्यता पूरा करता है।
- 6) भांडागारपाल या उसके किसी भी व्यक्ति, कर्मचारियों या एजेंटों से निरीक्षण एजेंसी या उसके निरीक्षण अधिकारी किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता, लाभ, उपहार, दान या दायित्व, को किसी भी समय इमपैनेलमेंट की अवधि के दौरान स्वीकार नहीं करेंगे।
- 7) निरीक्षण के लिए यात्रा, लोजिस्टिक्स, आवास आदि के लिए सभी व्यवस्था, निरीक्षण एजेंसी द्वारा की जाएगी तथा इसकी लागत भी वहन की जाएगी।
- 8) निरीक्षण एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि इन दिशानिर्देशों के तहत जारी किए गए मैनुअल और चेकलिस्ट, अधिनियम, नियम विनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दिशानिर्देश / परिपत्र आदि से पूरी तरह अवगत होने चाहिए उसके निरीक्षण अधिकारी भांडागारण और इसके अलावा निरीक्षणों के संचालन के विभिन्न कार्यों पर पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हों।
- 9) निरीक्षण एजेंसी को निरीक्षण की तारीख से कम से कम छह महीने की अवधि तक नमूने को संरक्षित रखना होगा और आवश्यकता पड़ने पर एकत्र किए गए नमूनों को प्राधिकरण को प्रदान करेगी।
- 10) निरीक्षण के अंत में, निरीक्षण अधिकारी विसंगतियों या गैर अनुपालनों की व्याख्या करेगा या उनके प्रतिनिधि का भांडागारपाल या इसके प्रतिनिधि के लिए विसंगति नोट जारी करेगा, भांडागारपाल को निर्देश देगा कि वे अनुपालन रिपोर्ट दस दिनों के भीतर प्राधिकरण प्रस्तुत करें।
- 11) जहाँ बताई गई विसंगतियों को प्राधिकरण की राय में पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया गया है उन मामलों में निरीक्षण एजेंसी को अनुवर्ती निरीक्षण करने की आवश्यकता हो सकती है।

- 12) एक या एक से अधिक निरीक्षणों में और प्राधिकरण को आवश्यकता होने पर निरीक्षण एजेंसी को कोई भी या सभी रेकोर्डों प्राधिकरण के साथ साझा करने होंगे।
- 13) निरीक्षण एजेंसी संगठन के भीतर शिकायत निवारण की प्रणाली और प्रक्रिया रखेगी तथा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र और तरीके अनुसार प्राधिकरण में उसी की एक प्रति जमा करेगी।
- 14) निरीक्षण एजेंसी प्राधिकरण से प्राप्त लिखित सूचना पर प्राधिकरण द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा खातों, इसकी निरीक्षण प्रक्रियाओं और प्रणालियों और पिछले निरीक्षणों की लेखा बहियों के अवलोकन की अनुमति देगी।

16. निरीक्षण प्रक्रिया के संबंध में भांडागारपाल के अधिकार और दायित्व।

- 1) भांडागारपाल या भांडागार के पंजीकृत आवेदक, जैसा भी मामला हो, निरीक्षण प्रक्रिया को रोकना या बाधित नहीं कर सकता है।
- 2) भांडागारपाल या भांडागार के पंजीकृत आवेदक को निरीक्षण रोकने का अधिकार है यदि -
 - क) प्राधिकार पत्र की प्रति, जेसा कि दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है, उसे प्रदान नहीं की गई है;;
 - ख) निरीक्षण अधिकारी जांच शुरू करने से पहले अपनी साख स्थापित करने से इनकार करता है; या
 - ग) निरीक्षण अधिकारी निरीक्षण के रूप में प्राधिकार पत्र में कहे गए दायरे के बाहर की जानकारी या दस्तावेजों की मांग करता है;
- 3) भांडागारपाल निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण में, नमूने एकत्र करने, दस्तावेज और प्राप्त करने का भांडागार के इमेज लेने और भांडागार या उसके प्रभावी नियंत्रण के तहत किसी कार्यालय से डेटा रिकॉर्डिंग करने का पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।

17. भांडागारपाल द्वारा निरीक्षण की तारीख बदलने के लिए अनुरोध

यदि भांडागारपाल पर्याप्त कारणों के साथ निरीक्षण एजेंसी को निरीक्षण तिथि के परिवर्तन के लिए अनुरोध करता है, तथा निरीक्षण एजेंसी, ऐसा करना आवश्यक समझती है, तो प्राधिकरण द्वारा प्राधिकार पत्र निर्धारित समय सीमा के अधीन इस तरह के अनुरोध को समायोजित किया जा सकता है।

18. भांडागार के निरीक्षण और परिणामों के लिए भांडागारपाल द्वारा मना करना और इस तरह के इनकार के परिणाम

- 1) अगर भांडागारपाल या उसके प्रतिनिधि निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण करने से मना करता है, या पूर्ण सहयोग नहीं देता है, निरीक्षण अधिकारी प्राधिकरण और निरीक्षण एजेंसी को इस तरह के इनकार / असहयोग के बारे में तुरंत रिपोर्ट करेगा।
- 2) प्राधिकरण ऐसे इनकार या असहयोग के आधार का पता लगाने के बाद, यदि यह ऐसा करने के लिए आवश्यक समझता है, तो आवेदन की अस्वीकृति के लिए भांडागारण (विकास और विनियमन) पंजीकरण भांडागार नियम, 2017 के अनुसार इस तरह के भांडागार के पंजीकरण के आवेदन को रद्द या निलंबन के लिए प्रक्रिया शुरू कर सकता है।

अध्याय V

निरीक्षण के लिए भुगतान

19. निरीक्षण करने के लिए निरीक्षण एजेंसी को प्राधिकरण द्वारा शुल्क का भुगतान

- 1) प्राधिकरण मासिक चालान के अंतर्गत अनुसूची 3 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार निरीक्षण एजेंसी को सभी समावेशी शुल्क का भुगतान करेगा।
- 2) भांडागारपाल/ उसके प्रतिनिधि की गलती या किसी अन्य घटना या, प्राकृतिक घटना या अन्यथा के कारण निरीक्षण छोड़ना पड़ा है, फिर भी प्राधिकरण शुल्क का पूरा भुगतान निरीक्षण एजेंसी को करेगा, बशर्ते कि निरीक्षण अधिकारी ने प्राधिकार पत्र में निर्दिष्ट स्थानों का दौरा किया है और पर्याप्त कारण प्रदान करता है, जिसके लिए निरीक्षण छोड़ना पड़ा।

20. कुछ मामलों में निरीक्षण का खर्च भांडागारपाल द्वारा वहन करना

भांडागारपाल निरीक्षण का खर्च वहन करेगा -

- क) अगर स्टॉक की स्थिति या भांडागार की स्थिति निरीक्षण अधिकारी द्वारा देखे गए पूर्व निरीक्षण में अनुपलब्धता के कारण निरीक्षण के लिए यह अनुपयुक्त है। ऐसे में निरीक्षण अधिकारी भांडागार स्थल से तुरंत प्राधिकरण को सूचित करेगा और प्राधिकरण को तस्वीरों, वीडियो और दस्तावेजों की प्रतियों सहित प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।
- ख) अगर खंड 19 के अनुसार भांडागारपाल या उसके प्रतिनिधि निरीक्षण अधिकारी को पूर्ण सहयोग देने से इनकार करते हैं, तो ऐसे मामले में, निरीक्षण अधिकारी भांडागार स्थल से तुरंत प्राधिकरण को सूचित करेगा और प्राधिकरण को संतुष्ट करने के लिए प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। प्राधिकरण निरीक्षण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सत्यापन, जैसे वह उचित समझेगा, करेगा।
- ग) यदि प्राधिकरण को लगता है कि भांडागार का एक अतिरिक्त भौतिक निरीक्षण करना आवश्यक है, जिसके लिए पंजीकरण के लिए आवेदन किया गया है, तो वह इसके लिए

खुद संतुष्ट करेगा कि इस तरह के सुधारात्मक उपायों के संबंध में पहले भौतिक निरीक्षण स्थिति के दौरान बताया गया था, वह दूसरे भौतिक निरीक्षण का कारण हो सकता है जिसे आवेदक की लागत से आयोजित किया जाएगा ।

अध्याय VI

पैनल का निलंबन, रद्द और आत्मसमर्पण

21. पैनल का आत्मसमर्पण

- 1) प्राधिकरण किसी निरीक्षण एजेंसी के इमपैनल को निलंबित कर सकता है, यदि -
 - क) ऐसी निरीक्षण एजेंसी किसी विषय के लिए किसी भी नियम और शर्तों जो इसे दिया गया था का पालन करने में विफल रहती है; या
 - ख) निरीक्षण एजेंसी अधिनियम, नियमों, विनियमों और इसके तहत बनाए गए दिशा निर्देशों तथा जारी परिपत्रों के प्रावधानों का उल्लंघन करती है; या
 - ग) प्राधिकरण के पास यह मानने के कारण हों कि निरीक्षण के लिए निरीक्षण एजेंसी और भांडागारपाल या उसके प्रतिनिधि में मिलीभगत है; या
 - घ) निरीक्षण एजेंसी निरीक्षण का व्यवसाय बंद कर देती है या परिसमापन में चली जाती है।
- 2) प्राधिकरण निरीक्षण एजेंसी को सूचना जारी करने के बाद निरीक्षण एजेंसी के अधिकार को निलंबित कर सकता है ।
- 3) इस तरह की सूचना में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे -
 - क) निरीक्षण एजेंसी ने विशिष्ट अधिनियम, नियम, विनियम और दिशानिर्देश / परिपत्र की आवश्यकताओं का उल्लंघन किया है;
 - ख) ऐसे उल्लंघन को सुधारने के लिए निरीक्षण एजेंसी को कार्रवाई करने की आवश्यकता है; तथा
 - ग) समय सीमा जिसके भीतर ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

22. निलंबन का प्रभाव

- 1) निरीक्षण एजेंसी निलंबन की अवधि के दौरान कोई निरीक्षण नहीं करेगी।
- 2) खण्ड 15 के अनुसार दायित्वों को निलंबन की स्थिति में, निरीक्षण एजेंसी इसका निर्वहन करना जारी रखेगी।

23. निलंबन की स्थिति में प्राधिकरण की शक्ति

निरीक्षण एजेंसी के निलंबन की अवधि के दौरान, प्राधिकरण ऐसी निरीक्षण एजेंसी से अनुपालन को सत्यापित करने के लिए निरीक्षण एजेंसी से अधिनियम, नियम, विनियम और दिशानिर्देश / परिपत्र के प्रावधानों के तहत सूचना मांग सकता है।

24. निलंबन का निरसन

- 1) प्राधिकरण यदि वह संतुष्ट है निरीक्षण एजेंसी के निलंबन को रद्द कर सकता है, बशर्ते निरीक्षण एजेंसी ने खण्ड 21 (3) के तहत जारी की गई सूचना में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा किया है। निरीक्षण एजेंसी को इस तरह के निर्णय को सूचित किया जाएगा।
- 2) निरीक्षण एजेंसी जिसका निलंबन रद्द कर दिया गया है, इन दिशानिर्देशों के अनुसार भांडागार निरीक्षण करने के लिए पात्र होगी।

25. निरीक्षण एजेंसी द्वारा इमपैनलमेंट के आत्मसमर्पण के लिए अनुरोध

- 1) यदि कोई निरीक्षण एजेंसी अपने इमपैनलमेंट को वापिस लेना चाहती है, तो वह लिखित में अनुरोध कर ऐसा कर सकती है।
- 2) इस खंड के तहत अनुरोध का निपटान करते समय, प्राधिकरण को निरीक्षण की आवश्यकता हो सकती है जिन्हे एजेंसी को ऐसे भांडागारों के निरीक्षण के संबंध में अपने सभी दायित्वों को पूरा करने के लिए यह ऐसे आत्मसमर्पण के अनुरोध की तारीख से पहले निरीक्षण करने के लिए निर्देशित किया गया था।
- 3) प्राधिकरण निरीक्षण एजेंसी को एक बार समर्पण होने के बाद भांडागार निरीक्षण का कार्य नहीं सौंपेगा।
- 4) प्राधिकरण इमपैनलमेंट के आत्मसमर्पण को स्वीकार कर सकता है और निरीक्षण एजेंसी को प्रतिभूति जमा जारी कर सकता है बशर्ते वह क्लॉज के तहत अपेक्षाओं से संतुष्ट है।

26. इमपैनलमेंट को रद्द करना

- 1) प्राधिकरण निम्नलिखित कारणों से एक या एक से अधिक के लिए निरीक्षण एजेंसी के इमपैनलमेंट को रद्द कर सकता है:
 - (क) प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का एक कारण है कि निरीक्षण के लिए भांडागारपाल या उसके प्रतिनिधि की निरीक्षण एजेंसी के साथ मिलीभगत है;
 - (ख) निरीक्षण एजेंसी व्यवसाय बंद कर देती है या परिसमापन में चली जाती है;

- (ग) निरीक्षण एजेंसी इस विषय के लिए दिए गए किसी भी नियम और शर्तों का पालन करने में विफल रहती है;
- (घ) निरीक्षण एजेंसी दिशा-निर्देश / परिपत्र अधिनियम, नियमों, विनियमों और प्रावधानों का उल्लंघन करती है;
- (ङ) निरीक्षण एजेंसी को दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए बार-बार निलंबित किया गया है;
- (च) निरीक्षण एजेंसी दिशानिर्देश के अधीन जारी सूचना का जवाब देने में विफल रहती है
- (छ) निरीक्षण एजेंसी के इमपैन्लमेंट को निलंबित कर दिया गया है और खंड 22 (2) के तहत जारी कि गई सूचना में निर्दिष्ट आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहती है।

2) खंड के अनुसार जाँच करने के सिवाय प्राधिकरण किसी निरीक्षण एजेंसी के अधिकार को रद्द नहीं कर सकता है।

3) प्राधिकरण, या इसके द्वारा इस खंड के तहत कार्य कर रहे नियुक्त जांच अधिकारी, निरीक्षण एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे जिसमें निम्नलिखित विवरण शामिल हैं:

- (क) इन दिशानिर्देशों के तहत विशिष्ट आवश्यकताओं का निरीक्षण एजेंसी द्वारा उल्लंघन;
- (ख) उल्लंघन की सूचना, जो प्राधिकरण को अपने आप को संतुष्ट करने में सक्षम बनाती है; तथा
- (ग) समय सीमा जिसके भीतर नोटिस का जवाब दिया जाना चाहिए था।

4) यदि प्राधिकरण या खंड 26 के उप-खंड (2) के तहत कार्य करने वाला जांच अधिकारी निरीक्षण एजेंसी को अनुमति देगा कि -

- (क) कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लेने हेतु विचार की गई सभी सामग्री तक पहुंच है;
- (ख) किसी भी सामग्री का एक्सैस जो किसी भी जांच के दौरान एकत्र की गई या कारण बताओ नोटिस के फैसले लेने के लिए इस्तेमाल की गई हो; तथा
- (ग) प्राधिकरण द्वारा आधारित किसी भी निष्कर्ष या निष्कर्ष तक पहुंचे या किसी भी जांच या जांच के दौरान सामग्री को जारी करने का निर्णय लेने हेतु कारण बताओ नोटिस।

5) प्राधिकरण, या जांच अधिकारी बाहरी व्यक्ति अधिनियम, नियमों, विनियमों और के अनुपालन की जांच करने के लिए दिशा-निर्देश / परिपत्र जारी कर सकता है।

6) यदि जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो जाँच अधिकारी सभी तथ्यों, और निरीक्षण द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

7) जांच अधिकारी द्वारा उपखंड (6) खंड 26 के तहत प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में निम्नलिखित सभी शामिल होंगे:

क) कारण बताओ नोटिस की प्रति;

ख) कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लेने में विचार करने वाली सभी सामग्री;

ग) कारण बताओ नोटिस के संबंध में जांच अधिकारी को निरीक्षण एजेंसी द्वारा दी गई सभी सूचनाओं और प्रस्तुतियाँ की प्रति;

घ) जांच के दौरान विचार की गई सभी सामग्री की प्रतिलिपि;

ङ) जांच के निष्कर्ष;

च) इन दिशानिर्देशों के तहत निरीक्षण एजेंसी द्वारा विशिष्ट उल्लंघन, जो कार्रवाई के लिए उसे उत्तरदायी बनाते हैं।

छ) मामले के रूप में जांच अधिकारी या प्राधिकरण के अधिकारी का नाम।

8) प्राधिकरण जाँच रिपोर्ट के आधार पर या उस पर अंतिम आदेश जारी करेगा और सभी तथ्यों एवं निरीक्षण एजेंसी द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण के आधार पर निरीक्षण एजेंसी को इस तरह के आदेश को तुरंत सूचित करेगा।

9) प्राधिकरण द्वारा जारी अंतिम आदेश में निम्नलिखित सभी आदेश शामिल होंगे:

क) प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय;

ख) निर्णय लेने के कारण;

ग) जिन सामग्रियों पर प्राधिकरण ने इस तरह के निर्णय पर पहुंचने के लिए आधार बनाया है;

घ) निरीक्षण एजेंसी को अधिकार हो सकता है कि अपील प्रार्थिकारी को अपील कर सकती है;

ङ) ऐसे संदर्भ की प्रक्रिया।

10) आदेश प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

27. अपील

कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण के इन दिशानिर्देशों के तहत आदेश से व्यथित हो तो अधिनियम की धारा 42 के तहत निर्दिष्ट अपील प्रार्थिकारी को अपील कर सकेगा।

अध्याय VII

अनुसूची

अनुसूची 1

निरीक्षण एजेंसियों के इमपैनलमेंट के लिए आवेदन पत्र

आवेदन पत्र पर
हस्ताक्षर करने
वाले अधिकृत
व्यक्ति का
पासपोर्ट फोटो
चिपकाए

1. आवेदक से संबंधित जानकारी -

क) आवेदक का नाम

ख) यदि आवेदक को पहले प्राधिकरण के साथ समाहृत किया गया था, तो आवेदक को जारी किया गया पहचान नंबर

ग) आवेदक का प्रकार -

i) कंपनी

ii) पीएसयू

iii) साझेदारी फर्म

iv) सोसाइटी

v) ट्रस्ट

घ) आईडी और पते के प्रमाण के रूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ पता (अनुसूची 5 में सूचीबद्ध दस्तावेजों में से)

ड) ईमेल पता:

च) टेलीफोन नंबर:

छ) आवेदक या आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि का फोटो:

ज) यदि आवेदन, आवेदक के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो निम्नलिखित में से एक दस्तावेज अवश्य प्रदान किया जाए:

I. पॉवर ऑफ अटॉर्नी:

II. प्रतिनिधि को प्राधिकार करने वाला बोर्ड संकल्प;

III. प्रतिनिधि के पक्ष में प्राधिकार पत्र प्रदान करने वाले व्यक्ति के पक्ष में बोर्ड संकल्प; या,

IV. शासी निकाय से प्राधिकार पत्र, साझेदारी फर्म, सोसाइटी जैसा कि मामला हो (शासी निकाय के अंतर्गत ऐसे संगठन जो पंजीकृत निगमन दस्तावेज द्वारा गठित निकाय है से आवेदक के प्राधिकार प्रतिनिधि का पता, ईमेल, फोन नंबर अवश्य दिया जाए। अनुसूची 5 में सूचीबद्ध दस्तावेजों में प्राधिकृत प्रतिनिधि की आईडी और पता प्रमाण संलग्न करें।

2. अनुसूची दो के अनुसार पात्रता से संबंधित दस्तावेज और अन्य जानकारी प्रस्तुत की जाए

क) निम्नलिखित प्रारूप में घोषणा करनी होगी कि आवेदक एक फिट और उचित व्यक्ति होने की आवश्यकताएं पूरी करता/ करती है:

एक फिट और उचित व्यक्ति के लिए आवश्यकताओं के लिए अनुपालन के आवेदक द्वारा

घोषणा

मैं / हम, _____ (आवेदक का नाम), एक _____ (कंपनी / पीएसयू) साझेदारी फर्म / सोसायटी / ट्रस्ट) हैं, मेरा पंजीकृत कार्यालय है _____ (पूरा पता), इसके द्वारा मैं / हम घोषणा करते हैं और प्रमाणित करते हैं कि हमने दिशानिर्देशों को पढ़ा है और पात्रता आवश्यकताओं के अनुसार है: -

क) पूर्ववर्ती पांच वर्षों में किसी भी समय मुझे या मेरे किसी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को किसी अदालत द्वारा किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है;

ख) मैं या मेरे किसी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को अन-डिस्चार्ज दिवालिया घोषित नहीं किया गया है;

ग) मुझे या मेरे किसी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को किसी अदालत द्वारा पागल घोषित नहीं किया गया है।

घ) मैं / हम किसी भी विनियामक प्राधिकरण, राज्य या केंद्र सरकार / किसी अन्य सरकारी संस्थान द्वारा आवेदन जमा करने की तारीख को अयोग्य / प्रतिबंधित / काली सूची के अधीन नहीं है

ङ) मैं / हम किसी भी अनुचित व्यवहार या किसी अन्य अपराध के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जांच के अधीन नहीं हैं;

च) मुझे और मेरे सहयोगियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा कोई अन्य कार्य नहीं दिया गया है; तथा

छ) पंजीकृत भांडागार या भांडागार के संबंध में जिसके पंजीकरण के लिए एक आवेदन किया गया है मैं या मेरे किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति में हितों का टकराव नहीं है।

ज) मैं / हम प्राधिकरण के साथ मेरे इमपैनेलमेंट की अवधि के दौरान अधिनियम, विनियम और दिशानिर्देश / समय-समय पर जारी परिपत्र नियमों के प्रावधानों का पालन करने के लिए सहमत हूँ ।

आवेदक या प्राधिकार प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

ख) प्राधिकरण की ओर से यदि कोई हो आवेदक द्वारा किए गए निरीक्षणों की संख्या के संबंध में घोषणा निम्न प्रारूप पूर्व में, के अनुसार विवरण संलग्न करें:

क्रमांक	भांडागारपाल का नाम	भांडागार का नाम	निरीक्षण का प्रकार (भौतिक / स्टॉक/ सामान्य)	निरीक्षण की तिथि

ग) कुल वर्षों का अनुभव-वर्ष

निम्नलिखित प्रारूप में ग्राहक से प्रमाण के रूप में दस्तावेजी निरीक्षणों का विवरण / प्रमाण पत्र (कार्य पूर्ण रिपोर्ट या अंतिम भुगतान पूरा होने पर आदेश) (प्रतिवर्ष कम से कम तीन ग्राहकों और अधिकतम 12 वर्षों की अवधि का विवरण प्रदान करें):

क्रमांक	निरीक्षण का प्रकार / भांडागार/ वस्तु / अन्य - निर्दिष्ट करें)	ग्राहक	निरीक्षण का वर्ष

घ) निम्न प्रारूप में पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए कुल निरीक्षणों / लेखापरीक्षाओं का विवरण ग्राहक से दस्तावेजी प्रमाण / प्रमाण पत्र के साथ (कम से कम दस निरीक्षणों का विवरण) आवश्यक है:

क्रमांक	निरीक्षण का प्रकार / लेखा परीक्षा / प्रमाणीकरण (भांडागार /कमोडिटी / अन्य - निर्दिष्ट करें)	ग्राहक	निरीक्षण की तिथि (यां)

ड) भांडागारो, फर्मों और संस्थाएं जो भंडारण, लोजिस्टिक, कमोडिटी प्रबंधन, खाद्य भंडारण और में लगी हुई हैं, के निरीक्षण पिछले तीन वित्तीय वर्षों में दस्तावेजी प्रमाण / लेखा परीक्षा / प्रमाणपत्र का विवरण प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा (जैसा कि ऊपर पैरा 'ग' में विस्तृत है) निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत करें (इस तरह के निरीक्षण में कम से कम दस का विवरण आवश्यक है):

क्र.सं.	निरीक्षण का प्रकार / लेखा परीक्षा / प्रमाणीकरण (भांडागार /कमोडिटी / अन्य - निर्दिष्ट करें)	इकाई के निरीक्षण किया में शामिल: (भंडारण /लोजिस्टिक / वस्तु प्रबंधन / खाद्य भंडारण और प्रसंस्करण / खाद्य सुरक्षा)	निरीक्षण की तिथि / यां

च) निम्नलिखित प्रारूप में आवेदक के लिए/ आवेदक के साथ काम करने वाले योग्यता प्राप्त निरीक्षण अधिकारियों का विवरण प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी का सीवी संगलन करे):

क्र.सं.	नाम	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव के क्षेत्र और वर्षों का अनुभव	निरीक्षण / आडिट / प्रमाणपत्र की संख्या	भांडागारों का प्रकार जिनके लिए सिफारिश की (पारंपरिक / साइलो / कोल्ड स्टोरेज)	सिफारिश किए गए निरीक्षण का प्रकार (भौतिक स्टॉक/ सामान्य) **

* संबंधित क्षेत्रों में अनुभव को ध्यान में रखते हुए सुझाव दें एक से अधिक प्रकार के भांडागार के लिए सिफारिश की जा सकती है।

** योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए सुझाव दें कि एक से अधिक प्रकार के निरीक्षण के लिए सिफारिश की जा सकती है।

छ) आवेदक के कार्यालयों / शाखाओं का विवरण:

क्षेत्र	राज्य	कार्यालयों की संख्या	प्रत्येक कार्यालय का पता

आवेदन में दी गई जानकारी के अतिरिक्त सत्यापन करने के लिए प्राधिकरण आवेदक से अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है।

3. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के भुगतान का विवरण: -

तिथि :

आवेदक / अधिकृत

स्थान :

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

अनुसूची 2

निरीक्षण एजेंसी के रूप में अनुभव के लिए पात्रता मानदंड

1. निरीक्षण एजेंसी के रूप में इम्पैनलमेंट के लिए आवेदक को निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करना होगा-

क) आवेदक एक फिट और उचित व्यक्ति होना चाहिए।

ख) आवेदक द्वारा न्यूनतम तीन वर्षों अवधि के लिए निरीक्षण किए होने चाहिए।

ग) गत वित्तीय वर्ष में आवेदक द्वारा कम से कम दस निरीक्षण / ऑडिट आयोजित किए होने चाहिए।

घ) पिछले तीन वित्तीय वर्ष आवेदक द्वारा भांडागारों / फर्मों और भांडागारण व्यवसाय, लॉजिस्टिक्स, कमोडिटी मैनेजमेंट, फूड स्टोरेज एवं प्रोसेसिंग, फूड सेफ्टी में लगी हुई संस्थाओं के कम से कम तीस निरीक्षण / ऑडिट प्रमाणीकरण किए होने चाहिए।

इ) आवेदक के पास निम्नलिखित आवश्यकताओं के अनुसार कम से कम तीन योग्यता प्राप्त निरीक्षण अधिकारी होने चाहिए जो भांडागारों/ भांडागारपालों का निरीक्षण कर सके:

i) विज्ञान में न्यूनतम स्नातक डिग्री (इंजीनियरिंग सहित और प्रौद्योगिकी स्नातक), कृषि या संबद्ध विज्ञान।

ii) भंडारण, परख, कृषि वस्तुओं का निरीक्षण या परीक्षण, भंडारण, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में से एक या अधिक क्षेत्रों में कम से कम पांच साल का अनुभव हो।

iii) भांडागारों, फर्मों और लॉजिस्टिक भंडारण, कमोडिटी प्रबंधन, खाद्य भंडारण, प्रसंस्करण और खाद्य सुरक्षा में संलग्न संस्थानों के कम से कम पांच निरीक्षण / ऑडिट / प्रमाणीकरण आयोजित किए गए हों।

iv) ऑनलाइन ईमेल इंटरनेट आदि सहित रिपोर्टिंग प्रणाली में काम करने के साथ अच्छा आईटी कौशल हो।

v) अधिमानतः एक प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त परखकर्ता होना चाहिए।

च) आवेदक के पास निम्नलिखित क्षेत्रों में से कम से कम दो में कार्यालय होने चाहिए।

I. उत्तर (चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश)

II. दक्षिण (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश सहित कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, तमिलनाडु एवं तेलंगाना)

III. पूर्व (अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल)

IV. पश्चिम (दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान)

V. मध्य (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश)

2. प्राधिकरण आवेदक पर तभी विचार करेगा जब वह एक फिट और उचित व्यक्ति के लिए निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करता है

- क) आवेदक, या इसके किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए किसी अदालत द्वारा, पूर्ववर्ती पांच वर्षों में किसी भी समय दोषी नहीं ठहराया गया है;
- ख) आवेदक, या इसके किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को एक अनडिस्चार्ज दिवालिया घोषित नहीं किया गया है;
- ग) आवेदक या उसके किसी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को अदालत द्वारा पागल घोषित नहीं किया गया है
- घ) आवेदक या उसके किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति आवेदन पत्र जमा करने की तारीख को किसी भी नियामक प्राधिकरण, राज्य लोडत में अन्य सरकारी संस्थान जो भी हो द्वारा अयोग्यता की घोषणा / प्रतिबंधित / ब्लैकलिस्टेड या केंद्र सरकार / किसी भी कारण से
- ङ) अनुचित या किसी अन्य के लिए किसी भी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा जांच अपराध आवेदक या इसके किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति को अधीन नहीं होना चाहिए;
- च) किसी भी पंजीकृत भांडागार या भांडागार के संबंध में जिसमें पंजीकरण के लिए एक आवेदन किया जाता है आवेदक या उसके किसी भी प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति का हित का टकराव नहीं होना चाहिए।
- छ) आवेदक या उसके सहयोगियों को अधिनियम के तहत अन्य कार्यों के लिए प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया हो; तथा
- ज) आवेदक या उसके प्राधिकार प्रतिनिधि एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वह अधिनियम, नियमों, विनियमों के अधीन समय-समय पर जारी दिशानिर्देश / परिपत्रों के प्रावधानों का पालन करेगा।

अनुसूची 3

प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण एजेंसी को किए जाने वाले शुल्क का भुगतान

निरीक्षण का प्रकार	विभिन्न क्षमता के भांडागारों के लिए प्रति निरीक्षण शुल्क (सभी शामिल)		
	10,000 टन तक	10,000 से 25,000 टन तक	25,000 टन से अधिक
भौतिक निरीक्षण	10,000	12,500	15,000
सामान्य निरीक्षण	12,000	17,000	25,000

- 1) प्राधिकरण उत्तर-पूर्वी में स्थित भांडागारों के लिए 2,500 रुपये अतिरिक्त प्रदान करेगा।
- 2) यदि सामान्य निरीक्षण में निम्नलिखित में से केवल एक होता है: (क) भौतिक निरीक्षण, या (ख) निरीक्षण के एजेंसी को भुगतान के लिए स्टॉक निरीक्षण, इस तालिका में दिए गए भौतिक निरीक्षण के लिए दरें लागू होंगी
- 3) यदि सामान्य निरीक्षण में निम्नलिखित में से एक से अधिक हो:
 - (क) भौतिक निरीक्षण, या
 - (ख) स्टॉक निरीक्षण, तो निरीक्षण एजेंसी को भुगतान के लिए लागू इस तालिका में दिए गए सामान्य निरीक्षण के लिए दरें होंगी
- 4) औचक निरीक्षण के लिए, यदि निरीक्षण में निम्नलिखित में से कोई एक हो:
 - (क) भौतिक निरीक्षण, या (ख) स्टॉक निरीक्षण, इसमें दिए गए भौतिक निरीक्षण की दरें

यदि निरीक्षण शामिल हैं निम्नलिखित में से एक से अधिक निरीक्षण एजेंसी को भुगतान के लिए तालिका लागू होगी।: (क) भौतिक निरीक्षण, या (ख) स्टॉक निरीक्षण, दरें इस तालिका में दिए गए सामान्य निरीक्षण निरीक्षण के भुगतान के लिए लागू होंगे एजेंसी।

अनुसूची 4

(भंडारगारपाल द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूति जमा हेतु बैंक गारंटी का प्रारूप)

निदेशक (प्रशासन एवं वित्त)

भंडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डबल्यूडीआरए),

एनसीयूआई बिल्डिंग चौथी मंजिल

3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग,

हौज खास, नई दिल्ली - 110016

(लागू होने पर देय स्टाम्प शुल्क के साथ)

हमारा गारंटी पत्र संख्या: _____

1. भंडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण, कार्यालय एनसीयूआई भवन (चौथा तल), 3, सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौज खास, नई दिल्ली - 110016 (लोडत) (जिसे इसके बाद यहाँ "डबल्यूडीआरए" कहा गया है) जब तक संघर्ष या अर्थ के विपरीत न हो इसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल होंगे)में अवस्थित है जिसके नामतः (बैंक द्वारा विधिवत प्रष्ठांकित) अथवा इस अनुसूची के साथ संगलन सूची के अनुसार भंडागार(रों) से पंजीकरण प्रदान करने पर विचार किया है / प्रदान किया है तथा जो मेसेर्स..... से संबंधित है (जिसे इसके बाद यहाँ "भंडागारपाल" कहा गया है, जब तक संघर्ष या अर्थ के विपरीत न हो इसके सभी उत्तराधिकारी, प्रशासक और निष्पादक शामिल होंगे)।
2. जबकि भंडारगारपाल भंडागारण (विकास और विनियामक) भंडागार पंजीकरण नियम,2017 (जिसे इसके बाद यहाँ नियम कहा गया है) में दिए गए निबंधन एवं शर्तों के अनुसार भंडागार व्यवसाय के संचालन को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है और डबल्यूडीआरए के साथ पूर्ण पंजीकरण के विश्वसनीय निष्पादन हेतु..... रूपए (..... रूपए मात्र) के लिए बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा डबल्यूडीआरए को प्रस्तुत करने पर सहमत हुआ है, हम (जिसे एतदपश्चात "बैंक" कहा गया है) भंडागारपाल के अनुरोध पर एतदद्वारा नियमों और "डबल्यूडीआरए के भंडागारों के पंजीकरण हेतु प्रतिभूति की आवश्यकता" संबंधी दिनांक की अनुसूची सं. (जिसे एतदपश्चात अधिसूचना कहा गया है) में समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों में से भंडागारपाल द्वारा किसी के उल्लंघन के मामले के परक्राम्य भंडागार रसीदों के धारक को होने वाली किसी हानि

या क्षति के लिए रूप से अधिक न होने वाली राशि डब्ल्यूडीआरएको अदा करने का वचन देते हैं ।

3. हम (बैंक का नाम) एतदद्वारा इस गारंटी के अंतर्गत देय तथा भुगतान योग्य राशि को बिना किसी विलंब के डब्ल्यूडीआरए को यह कहते हुए मांग किए जाने पर कि दावा की गई राशि नियमों तथा अधिसूचना में समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों में से किसी शर्त के भाण्डागारपाल द्वारा किए गए उल्लंघन के चलते परक्राम्य भाण्डागार रसीद के धारक को होने वाली हानि या क्षति के कारण है, उसे अदा करने का वचन देते हैं। इस गारंटी के अंतर्गत बैंक को की गई ऐसी कोई भी मांग बैंक द्वारा देय तथा भुगतान योग्य किसी राशि के संबंध में निर्णायक होगी। तथापि, इस गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता..... रूप की राशि से अधिक की नहीं होगी।
4. हम डब्ल्यूडीआरए को इस प्रकार मांग की गई कोई भी राशि अदा करने का वचन देते हैं, बावजूद इसके कि भाण्डागारपाल ने किसी न्यायालय अथवा अभिकरण के समक्ष तत्संबंधी किसी वाद या कार्यवाही में किसी विवाद अथवा विवादों को उठाया हुआ है , इसके अंतर्गत हमारी देयता पूर्ण तथा स्पष्ट है। इस बंधपत्र के अंतर्गत हमारे द्वारा किया गया भुगतान अथवा तत्संबंधी भुगतान हेतु देयता के लिए एक वैध निर्वहन होगा और ऐसा भुगतान करने पर भाण्डागारपाल का हमारे प्रति कोई दावा नहीं होगा।
5. हम.....(बैंक का नाम) आगे इसके लिए भी सहमत होते हैं कि डब्ल्यूडीआरए के पास हमारी सहमति के बिना और इसके अंतर्गत हमारे दायित्वों को किसी तरीके से प्रभावित किए बिना उक्त अनुबंध के किसी निबंधन एवं शर्त को बदलने या समय पर भाण्डागारपाल द्वारा निष्पादन के समय में विस्तार करने अथवा समय पर डब्ल्यूडीआरए द्वारा भाण्डागारपाल के विरुद्ध की जाने वाली शक्तियों के प्रयोग को स्थगित करने और उक्त समझौते से संबंधित निबंधन एवं शर्तों को रोकने या लागू करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी और हम उक्त अनुबंध से संबंधित निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत अपनी देयता से मुक्त नहीं होंगे तथा हम डब्ल्यूडीआरए की ओर से भाण्डागारपाल को प्रदान किए गए ऐसे किसी अंतर, या विस्तार अथवा डब्ल्यूडीआरए की ओर से कोई रोक, कृत्य या चूक अथवा भाण्डागारपाल के साथ डब्ल्यूडीआरए के किसी कृत्य में शामिल होने अथवा किसी भी अन्य मामले या घटना से, जिसके अंतर्गत तजमानत देने वालों से संबंधित कानूनों का प्रभाव हमें मुक्त करेगा, बशर्ते यह प्रावधान न हो।
6. यह गारंटी बैंक या भाण्डागारपाल के गठन में परिवर्तन के कारण निरस्त नहीं होगी।

7. हम..... (बैंक का नाम) अंततः इस गारंटी को डब्लूडीआरए की पूर्व स्वीकृति लिखित में प्राप्त होने तक वापिस न लेने का वचन देते हैं।

8. यहां कुछ भी समाविष्ट होते हुए भी:-

- I. इस बैंक गारंटी के अंतर्गत हमारी देयता.....रूपए (.....
.....रूपए मात्र) है।
- II. यह बैंक गारंटी तक वैध है और
- III. हम इस बैंक गारंटी के अंतर्गत किसी गारंटीशु दा राशि या उसके किसी अंश का भुगतान केवल तब तक करने का दायित्व रखते हैं जब तक डब्लूडीआरए हमें.....
(गारंटी की समाप्ति की तिथि) को या उससे पूर्व लिखित में दावा या माँग भेजें।

दिनांक.....माह.....20

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रबं धक का नाम

कृते (बैंक का नाम)

शाखा

बैंक की मुहर

अनुसूची 5

इमपैनलमेंट के लिए आवेदन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले पहचान और पते का प्रमाण

आवेदक और अधिकृत प्रतिनिधि की पहचान और पते को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित को वैध दस्तावेज माना जाएगा -

1. व्यक्तिगत के मामलों में, नीचे सूचीबद्ध दस्तावेजों में से किसी एक की एक सत्यापित प्रति;

(i) आधार कार्ड;

(ii) स्थाई खाता संख्या (पेन) कार्ड (केवल पहचान प्रमाण के रूप में);

(iii) ड्राइविंग लाइसेंस ;

(iv) पासपोर्ट; या

(v) पोस्ट ऑफिस/ किसी भी अनुसूचित बैंक की फोटो के साथ चालू पासबुक।

2. पीएसयू के मामले में निम्नलिखित की एक सत्यापित प्रति
 - (i) इकाई की स्थापना के बारे में सरकार की अधिसूचना
 - (ii) पैन कार्ड
 - (iii) वार्षिक रिपोर्ट
3. यदि आवेदक एक कंपनी है, तो इसकी एक सत्यापित प्रति -
 - (i) निगमन का प्रमाण पत्र;
 - (ii) एसोसिएशन का ज्ञापन;
 - (iii) एसोसिएशन के अंतर्नियम; तथा
 - (iv) पैन कार्ड
4. यदि आवेदक एक साझेदारी फर्म है, तो निम्नलिखित में से दोनों की एक सत्यापित प्रति अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए:
 - (i) साझेदारी फर्म का पंजीकृत विलेख/ साझेदारी फर्म का विवरण/ फर्म
 - (ii) साझेदारी फर्म का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
5. यदि आवेदक एक सोसाइटी है, तो निम्नलिखित दोनों की सत्यापित प्रति होनी चाहिए प्रस्तुत -
 - (i) सोसाइटी के एसोसिएशन का ज्ञापन; तथा
 - (ii) सोसाइटी का पंजीकरण प्रमाण पत्र।
6. यदि आवेदक कोई ट्रस्ट है, तो ट्रस्ट के पंजीकृत ट्रस्ट डीड की एक सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए।

अनुसूची 6: भांडागारों के भौतिक निरीक्षण के लिए प्रक्रिया

भौतिक निरीक्षण - भांडागारों के पंजीकरण के लिए आधारभूत संरचना की आवश्यकता

भांडागार (पारम्परिक भांडागार हो या, साइलो या कोल्ड स्टोरेज) जिसे भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डबल्यूडीआरए) के साथ पंजीकृत कराये जाने की इच्छा है, उस द्वारा भांडागारण (विकास और विनियमन) भांडागार पंजीकरण नियम, 2017 के अधीन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अवसंरचना मानको को पूरा किया जाना आवश्यक है। पंजीकरण नियमों में निर्धारित पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले भांडागार का डबल्यूडीआरए के पैनल में रखी गई निरीक्षण एजेंसी द्वारा संबंधित एजेंसी को लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सूचना जारी किए जाने के पश्चात भौतिक निरीक्षण किया जाएगा।

भौतिक निरीक्षण के लिए पैनल में रखी गई निरीक्षण एजेंसी के निरीक्षण अधिकारी, आवेदक द्वारा भांडागार के स्वामित्व/ प्रभावी नियंत्रण को साबित करने वाले प्रमुख मापदंड के अलावा भौतिक अवसंरचना के संबंध में सूचनाएँ एकत्रित करेगा। भौतिक निरीक्षण के लिये ऑनलाइन रिपोर्टों का प्रारूप निरीक्षण अधिकारियों के लॉगिन पर उपलब्ध है। विभिन्न प्रकार के भौतिक निरीक्षण के दौरान सत्यापित किए जाने वाले विवरण नीचे दिए गए हैं:-

1. परम्परिक भांडागारों के लिए संरचनात्मक ढाँचा

पारम्परिक भांडागार में संरचनात्मक ढाँचे को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है:-

1. संरचनात्मक आवश्यकताएँ
2. उपकरणों सहित माल के भौतिक और रसायनिक विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला की सुविधाएं
3. स्टॉक के संरक्षण / रख रखाव के लिए आवश्यक उपकरण और संरचनात्मक ढाँचा
4. माल के वजन की व्यवस्था
5. अग्निशमन की व्यवस्था
6. सुरक्षा व्यवस्था
7. कार्यालय की सुविधाएं

1. संरचनात्मक आवश्यकताएँ

- (i) भांडागार, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) (बीआईएस मानक संख्या आईएसआई 644:2014) के अनुसार निर्मित किया जाना चाहिए। हालांकि ये मानक भांडागार के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण को स्वीकार्य हैं। फिर भी, निरीक्षण एजेंसी, संतुष्ट होने पर विशिष्ट टिप्पणियों/ कारणों के साथ भांडागार की समग्र भांडागार-योग्यता में समझौता किए बिना संरचनात्मक

आवश्यकताओं में छूट दे सकती है। तथापि निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:-

- (क) भांडागार, पर्याप्त जल निकासी वाले ऊँचे स्थल पर स्थित होना चाहिये ताकि बाढ़ और सैलाब के बीच न फँस सके तथा ऐसे स्थान से दूर हो जहाँ भांडागारों में पानी के रिसाव की संभावना हो।
- (ख) यदि भांडागार के उपर हाई टेंशन विद्युत लाइन से जा रही हो, तो भंडारण के ढांचे की योजना बनाते समय आवश्यक इलेक्ट्रिक कोर स्थिति को ध्यान में रखा जाए। भंडारण ढाँचा, गैस / फायर पाइप लाइनों में मुक्त होना चाहिए।
- (ग) भांडागार, जहाँ तक संभव हो वधशाला, चर्मशोध, आग के खतरों के संभावित स्रोतों जैसे लकड़ी की दुकानों और पेट्रोल सीएनजी/ पीएनजी पम्पिंग स्टेशनों से दूर होने चाहिए।
- (घ) भांडागार के निकट कोई पेड़ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसकी जड़े भांडागार की संरचना की नीव को प्रभावित कर सकती हैं। संरचना ढांचा वृक्षों की शाखाओं, खम्भों से कम से कम तीन मीटर दूर होने चाहिए अन्यथा चूहे गिलहरी आदि की पहुँच भांडागार तक हो सकती है। दीमक से बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।
- (ङ) भांडागार हर मौसम में वाहन-योग्य सड़क से सुलभ होना चाहिए। भांडागार अधिमानतः किसी एक सड़क सुविधा तथा मुख्य सड़क के पास स्थित हो सकता है , तो इसके लिए परिवहन वाहनों की आसान पहुँच होनी चाहिए।
- (च) भांडागार परिसर में, पार्किंग और वाहनों के आने जाने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। यदि भांडागार किसी घाट, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे पर स्थित है, तो पर्याप्त बर्थिंग, लदान और उतराई की सुविधा होनी चाहिए।
- (छ) सड़क से माल आने वाले गोदामों के लिए प्लिंथ भूतल से समान्यता 61 से. मी. उपर रखा जाएगा जबकि रेल से माल आने वाले गोदामों के लिए प्लिंथ रेल-शीर्ष से 91 से. मी. उपर होनी आवश्यक है।
- (ज) भंडारण गोदाम में फर्श सीमेंट कंक्रीट, कृतंकरोधी, नमीरोधी, मजबूत टिकाऊ और दरार या दरारों से मुक्त होना चाहिए।
- (झ) दरवाजे अधिमानतः पार-वेंटीलेशन की सुविधा के लिए प्रत्येक गेट वे के सामने होने चाहिये। दरवाजे रोलिंग शटर के होने चाहिए। दरवाजे 1830 x 2450 मि. मी. के होने चाहिए। क्लियर ओपनिंग के 1830 x 2450 मि. मी. गैराज दरवाजा भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- (ञ) दीवारों में सेंटर तक आरसीसी कॉलमों के बीच प्रत्येक बे में 1494 मि. मी. तथा 594 मि. मी. से उपर का एक स्टील वेंटीलेटर होना चाहिए। प्रत्येक बे में गोदाम के फर्श से उपर 600 मि. मी. की ऊँचाई पर 620 x 620 मि.मी. स्टील के एयर इन्लेट दिये जाएंगे जहाँ अच्छी स्थानीय लकड़ी उपलब्ध है या तटीय क्षेत्र में जहाँ इस्पात में कटाव हो सकता है, वहाँ लकड़ी के वेंटीलेटर दिये जा सकते हैं।

- (ट) सड़क और रेल से माल आने वाले दोनों प्रकार के गोदामों के लिए छत सिंगल स्पेन स्ट्रक्चरल स्टील या ट्युब्लर ट्रांसिज की होगी जो प्लिंथ लेवल से टाई 5600 मी.मि. से उपर की ऊँचाई पर आरएस जाइंट पर आर सी सी कॉलम पर फिक्स की जाएगी।
- (ठ) छत की सामग्री, नालीदार एसबेसटोस शीट या जस्ती नालीदार इस्पात चादरों या नालीदार एल्यूमीनियम की शीट की हो सकती है जिसकी मोटाई 0.56 मी.मि. से कम नहीं होनी चाहिए।
- (ड) गैबल दीवारों एवं विभाजन दीवारों पर ट्रेस के टाई लेवल पर बीम हो सकता है। जहां गैबल का निर्माण किया है, ध्यान रखा जाना चाहिए की दीवारों के छत की कवरींग के बीच कोई खाली स्थान न छोड़ा जाए।
- (ढ) परिसर में बारिश के पानी की निकासी के लिए पर्याप्त निकासी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि बाढ़ से बचाव हो सके।
- (ण) भांडागारों की दीवारों पर अन्दर की तरफ सीमेंट प्लास्टर तथा बाहर की दीवारों पर फर्श स्तर चिकना प्लास्टर किया जाएगा। अंदर की ओर सफेदी तथा बाहर कलर वॉश किया जा सकता है।
- (त) लदान और उतराई के संचालन की सुविधा के लिए दरवाजा बिन्दुओं और गोदाम के अंदर गलियारों में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाए। बिजली के कनेक्शन और फिटिंग की जांच की जानी चाहिए। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए नियमित रूप से परीक्षण किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में कोई दोष पाए जाने की स्थिति में तुरंत मरम्मत कारवाई जानी चाहिए
- (थ) भंडारण क्षमता में भावी विस्तार और गुंजाइश के आधार पर गोदाम में एक या अधिक सहायक संरचना हो सकती है कार्यालय का कमरा, स्टोर रूम और उचित वेंटीलेशन के साथ कीटनाशकों को रखने के लिए ताले के साथ एक अलग कमरे में एक छोटा सा कॉम्पैक्ट ब्लॉक प्रदान किया जा सकता है ।
- (द) भांडागारपाल यह सुनिश्चित करेगा कि भांडागार की सभी दीवारें, खंभे, विभाजन छत, गोदाम के अंदर सीढ़ियां सफेदी/ रंग (कम से कम 3 साल में एक बार) से परिभाषित अंतराल पर साफ की गई हैं।

(ii) भूकंप की आशंका वाले क्षेत्रों में भूकंप के झटकों को झेलने के लिए 1893-1984 और 4326-1993 में दिये गए प्रावधान के अनुसार भांडागार का निर्माण किया जाएगा ।

2. प्रयोगशाला सुविधाओं सहित माल की भौतिक और रासायनिक विश्लेषण के लिए उपकरण

गोदाम में रखे माल के भौतिक और रासायनिक विश्लेषण के लिए आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित एक प्रयोगशाला का होना आदर्श माना जाएगा । तथापि प्रयोगशाला के लिए अलग स्थान भांडागार के पंजीकरण के लिए अनिवार्य नहीं है। भांडागार परिसर में इस प्रयोजन के लिए स्थान निर्धारित होना चाहिए। परीक्षण और विश्लेषण और भांडागार में न्यूनतम प्रयोगशाला उपकरणों के संबंध में अनुबंध-1 पर विस्तृत जानकारी दी गई है। जिस भांडागार के लिए पंजीकरण की मांग की जा रही है,

उसमें वस्तुओं की ग्रेडिंग के लिए अपने स्वयं की सुविधा हो या प्रयोगशाला के साथ टाईअप किया हुआ होना चाहिए ।

3. माल के संरक्षण और विश्लेषण के लिए आवश्यक उपकरण और बुनियादी सुविधाएँ:

भांडागारों में माल के संरक्षण और रखरखाव के लिए आवश्यक उपकरण और अन्य मदें होनी चाहिए। इस तरह के उपकरणों और मदों की सूची अनुबंध- 1 में दी गई है। उपकरण और कैलिब्रेशन वाले आइटम कैलिब्रेट प्रयोगशालाओं / संस्थानों से समय-समय पर कैलिब्रेटेड किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त प्रदर्शित किया जाना चाहिए। उपकरणों के लिए एक अलग अंशांकन रजिस्टर बनाए रखा जाना चाहिए।

4. माल की तुलाई के लिए व्यवस्था:

भांडागार में माल की तुलाई के लिए पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए । आदर्श रूप में गोदाम का अपना इलेक्ट्रॉनिक लॉरी ब्रिज (एलडबल्यूबी) होनी चाहिए। यदि वांछित क्षमता के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म स्केल की पर्याप्त संख्या है, तो पंजीकरण के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं । तौल के मुद्रांकन की अंतिम तिथि का विवरण प्रमुखता से गोदाम में प्रदर्शित किया जाएगा। गोदाम में एक इलेक्ट्रॉनिक लॉरी वे ब्रिज की उपलब्धता के मामले में, अपनी क्षमता और मेकअप भी पिछले मुद्रांकन के विवरण से अलग संकेत हो सकता है। यदि नहीं, तो निम्न विवरण भी प्रदान किया जा सकता -

- (i) आसपास के क्षेत्र में तोल के लिए प्रयोग किए जाने वाले कम से कम एक या अधिक लॉरी वे ब्रिज का पता;
- (ii) वे ब्रिज के मालिक का नाम;
- (iii) भांडागार से वे ब्रिज की दूरी;
- (iv) एलडबल्यूबी की क्षमता।

5. अग्निशामन व्यवस्था:

भांडागार में अग्निशामन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए गोदाम और उसमें संग्रहीत स्टॉक आग की वजह से होने वाले नुकसान से सुरक्षित होना चाहिए। भांडागारपाल यह सुनिश्चित करेगा कि परिसर में प्रवेश करने वाले कर्मियों के पास किसी भी मैच बॉक्स, गैस लाइटर, रसायन और ज्वलनशील आइटम, जो आग पैदा कर सकता है, न ले जाया जाए । परिसर में आग लगने के किसी भी प्रकोप से बचने के लिए सावधानी बरती जाएगी । "धूम्रपान निषेध" साइन बोर्ड प्रमुखता से उपयुक्त स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। भांडागार में आग बुझाने के उपकरण और बाल्टी संख्या का विवरण अनुबंध- 11 में दिया गया है । भांडागार में आग का पता लगाने और अग्नि सुरक्षा के लिए कोई अन्य बेहतर प्रावधान / व्यवस्था हो सकती है जो विधिवत अग्नि सेवा के अधिकारियों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए । जल आपूर्ति और अग्निशामन व्यवस्था स्थानीय अग्निशामन विभाग की आवश्यकता के अनुसार की जाएगी । कपास-गांठें, जूट गांठें आदि जैसे खतरनाक माल के

भंडारण के मामले में, उचित क्षमता के स्थिर पानी के टैंक प्रदान किए जाने चाहिए और उनका रख रखाव जाना चाहिए। भांडागारपाल यह सुनिश्चित करेगा कि फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन, अस्पताल और गोदाम मालिक के पते टेलीफोन नंबर सुरक्षा कक्ष, कार्यालय और विशिष्ट स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है, ताकि आपात स्थिति में, संबंधित अधिकारियों से बिना किसी देरी के संपर्क किया जा सके ।

6. सुरक्षा व्यवस्था

भांडागार परिसर में और स्टॉक की सुरक्षा के लिए अपेक्षित बुनियादी सुविधा होनी चाहिए। आवश्यक अलार्म और वाच एवं वार्ड स्टाफ के अलावा, भांडागार एक अच्छी तरह से संरक्षित पक्की चारदीवारी या एक अच्छी तरह से सुरक्षित गेट के सहित कंट्रीले तार की बाड़ होनी चाहिए। गेटों पर एक सुरक्षा कक्ष उपयुक्त होगा। उचित वाच एंड वार्ड के लिए गोदाम परिधि दीवार पर अंदर प्रकाश व्यवस्था प्रदान की जाएगी।

7. कार्यालय सुविधाएँ

भांडागार के कार्यालय कक्ष या एक नामित कक्ष / कार्यालय क्षेत्र के रूप में कार्य करने के लिए एक छोटा कॉम्पैक्ट ब्लॉक हो सकता है। कार्यालय में पर्याप्त उपकरण जैसे कंप्यूटर, टेलीफोन, फैक्स और फर्नीचर (मेज, कुर्सियाँ अलमारी, आदि) उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

II साइलों की अवसंरचना

मौजूदा रूझान, बेहतर दक्षता, स्टॉक और गुणवत्ता के रखरखाव/ सुरक्षा के लिए साइलो में अनाज के थोक भंडारण की दिशा में है। साइलो एक वर्टिकल बेलनाकार व्यास या क्षैतिज भंडारण और थोक में अनाज की हैंडलिंग के लिए आवश्यक उपकरणों सुसज्जित अधिक ऊंचाई की एक इकाई है। आईएस: 5503 (भाग I और II) -1969 की 2005 में पुनः पुष्टि सहित अन्न के भंडारण के लिए साइलो की सामान्य आवश्यकताओं का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। हालांकि, साइलो के पंजीकरण के प्रस्तावों की जांच के लिए निम्न आवश्यकताओं पर उचित ध्यान दिया जाएगा:-

1. संरचना, उचित जल निकासी साइट पर होनी चाहिए ताकि बाढ़ या सैलाब से बचाव हो, और पर्याप्त लोड वहन क्षमता रखने वाली हो ।
2. संरचना, जहाँ तक संभव हो, प्रदूषण के स्रोत जैसे वधशाला और चर्म शोधनालय, और आग के संभावित खतरों के स्रोतों जैसे लकड़ी की दुकानों और पेट्रोल / सीएनजी / पीएनजी पम्पिंग स्टेशन से दूर रखा जाएगा।
3. साइलों अधिमानतः रेल से जुड़ी होनी चाहिए । लदान और उतराई सुविधाओं और वाहनों के आने जाने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। जहाँ साइलो, डाक और नौका शीर्ष के निकट है वहाँ, पर्याप्त बर्थिंग, लदान और उतराई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

4. साइलो में आमतौर पर ट्रक और वैगन डंप या दोनों, हैड हाउस, भंडारण ब्लॉक, संग्रह ब्लॉक तथा विवरण एकत्र गैलरियाँ होंगी । इसके अलावा, प्रत्येक साइट पर सहायक संरचना रूप में छोटा-सा कार्यालय और स्टोर रूम, एक प्रयोगशाला, ईंधन के भंडारण के लिए एक गैर दहनशील भंडारण कक्ष, एक बेगिंग शेड, एक ट्रैक शेड जहां वैगनों या लॉरियां हैंडल की जा सके, मरम्मत दुकान, लॉरियों और वैगन के वे ब्रिज, बिजली सबस्टेशन, और नियंत्रण कक्ष होना चाहिए ।
5. ट्रक डंप और वैगन डंप का पर्याप्त रूप से बारिश से बचाव होना चाहिए घास या अन्य बड़े अनाज के रूप में बाहरी मैटर को अलग करने के लिए पर्याप्त शक्ति वाली उपयुक्त धातु की चलनी होनी चाहिए ।
6. जल संचय के मामले में जल निकासी के लिए डंप के लिए पर्याप्त प्रावधान होगा।
7. हैडहाउस में बेसमेंट तथा काफी तल संख्या होगी इसमें मुख्यतः बैकेट एलिवेटर अनाज, स्वतः वजन और क्लीनिंग मशीने, गार्नर तथा हैंडलिंग उपकरण होंगे ।
8. साइलो गोलाकार, आयताकार या किसी अन्य आकार की हो सकती हैं। बिन प्रबलित सीमेंट कंक्रीट की या स्टील द्वारा निर्मित हो सकती हैं।
9. हैडहाउस सहित साइलो बिन अधिमानतः एक सुविधाजनक में स्थित पंक्तियों (चार पंक्तियों से अधिक नहीं) में व्यवस्थित की जा सकती है।
- 10 कंक्रीट मेट जिस पर साइलो बिन खड़े होंगे उसे प्लिंथ के रूप में माना जाएगा। प्लिंथ स्तर अधिकतम बारिश के पानी के स्तर की तुलना में कम से कम 0.5 मीटर ऊंची होगी।
- 11 साइलो में उचित भंडारण और खाद्यान्न के रखरखाव के लिए निम्नलिखित सुविधाएं होनी चाहिए:
 - सफाई मशीनें
 - सुखाने वाले उपकरण।
 - तापमान का पता लगाने वाले उपकरण
 - वातन उपकरण।
 - फ्यूमिगेशन पंप्स।
 - तौल एवं बेगिंग मशीन।
 - अग्निशमन उपकरण।
 - नियंत्रण कक्ष।

III कोल्ड स्टोरेज के लिए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता

1. सामान्य विवरण:

निम्नलिखित न्यूनतम आवश्यकताएं हैं जिन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए:

- i) कोल्ड स्टोरेज यूनिट /चैम्बर पर्याप्त जगह के साथ एक उठी हुई जगह पर स्थित होने सहित जल निकासी की सुविधा होनी चाहिए ताकि बाढ़ एवं सैलाब से बचाव हो तथा कोल्ड स्टोरेज यूनिट में अपशिष्ट रिसाव के पानी के प्रवेश की संभावना न हो।
- ii) कोल्ड स्टोरेज यूनिट/ चैंबर टेंशन तनाव वाली लाइन से मुक्त होना चाहिए। ऐसी लाइन के ऊपर से गुजरने की स्थिति में इलेक्ट्रिक कोर भंडारण संरचना की योजना बनाते समय इस प्रकार की स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। संरचना गैस/ अग्नि पाइप लाइनों से मुक्त होनी चाहिए।
- iii) संरचना के करीब कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, जिसकी जड़ों से कोल्ड स्टोरेज यूनिट चंबर संरचना की नींव प्रभावित हो सकती है। संरचना हमेशा कम से कम 3 मीटर तक पेड़ की शाखाओं, खंभो आदि से दूर होनी चाहिए अन्यथा चूहों, गिलहरियों आदि को इसमें प्रवेश मिलेगा। दीमक से बचाव के लिए आवश्यक उपाय किए हुए होने चाहिए ।
- iv) भांडागार (कोल्ड स्टोरेज)/ सभी मोसम में चलने वाली मोटर योग्य रोड द्वारा सुलभ होनी चाहिए गोदाम अधिमानतः परिवहन शीर्ष के पास स्थित हो सकता है। यदि गोदाम मुख्य सड़क से दूर स्थित है तो सड़क से परिवहन वाहनों के लिए आसान पहुँच होनी चाहिए।
- v) संरचना, जहाँ तक संभव हो, संदूषण के स्रोत से दूर होगी, जैसे वधघर और चर्मशाला आग के खतरे के संभावित स्रोत, जैसे कि लकड़ी के भंडार और पेट्रोल पीएनजी पम्पिंग से दूर होगी।
- vi) गोदाम परिसर (कोल्ड स्टोरेज) में पार्किंग और वाहनों की आसान गतिशीलता के लिए जगह होगी । यदि गोदाम नौका शीर्ष, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, आदि पर स्थित है तो वहाँ पर्याप्त बर्थिंग, लोडिंग और अनलोडिंग सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए।
- vii) जैसा कि पारंपरिक गोदामों के लिए आवश्यक है, प्लिंथ जमीनी स्तर से आमतौर पर 61 सेमी रखी जाएगी यदि केंद्र/ राज्य के मंत्रालय/ विभाग की योजना के तहत के तहत निर्माण किया जाएगा तो उन योजनाओं के लागू मानकों का पालन किया जाएगा।
- viii) नींव के आकार, सामग्री/ डिजाइन / मद्द और विनिर्देशों / मानक बीम, कॉलम, दीवार, प्लास्टर (यदि लागू हो) इन्सुलेशन, सीढ़ी, मेजेनाइन फर्श, दरवाजे, छत, बिजली, फर्श, ठंडा, प्रशीतन, कंप्रेसर, कंडेनसर, शीतलन टॉवर, दबाव पोत, वाष्पिकरणकर्ता वायु शीतलन / इकाइयों, ऊर्जा बचत उपकरण और उपाय इत्यादि निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार होने चाहिए। बीआईएस के तहत या किसी भी केंद्र अनुसार राज्य सरकार के अनुमोदित मानकों के / हो, जिसके अंतर्गत कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया गया है निम्नलिखित मानकों को भी क्रॉस सत्यपित किया जा सकता है जैसा कि विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की गई बुनियादी डेटा शीट और प्रमाण पत्रों में दिया गया है ।

ix) आम तौर पर, दो प्रकार के तकनीकी मानकों के अनुसार कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाता है -

क) संगठनों/ राज्य सरकार/ केंद्र सरकार के विभागों की योजनाओं के तहत निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार निर्मित किया गया है तो ऐसे मामले में डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ स्कीम के विवरणों का सत्यापन किया जा सकता है। बेसिक डेटा में उल्लिखित विवरण के अनुसार निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों द्वारा प्रदान की गई डेटा शीट और प्रमाण पत्रों के आधार पर क्रॉस सत्यापित भी किया जा सकता है।

ख) किसी भी अन्य राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानक के अनुसार डिजाइन प्रैक्टिस लोड जैसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग और कंडीशनिंग इंजीनियर्स (ASHRAE) / इंडियन सोसायटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग और एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स (ISHRAE) / एयर कंडीशनिंग, हीटिंग और प्रशीतन संस्थान (AHRl), ऐसे मामलों में डिजाइन पद्धति विवरण के अनुसार निरीक्षण अधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएगी जैसा कि बेसिक डेटा शीट **अनुबंध V** में दिया गया है और विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों में उल्लेख किए अनुसार भी क्रॉस सत्यापन भी किया जा सकता है

x) भूकंप संभावित क्षेत्रों में गोदाम का डिजाइन में दिए गए प्रावधान के अनुसार किया जाएगा जैसे कि भूकंप के झटकों को सहन करने के लिए: आईएस 1893 -1984 और आईएस 4326 - 1993 दिया गया है।

2. भंडागार में बुनियादी ढांचे की आवश्यकता :(कोल्ड स्टोरेज)

(I) संरचनात्मक आवश्यकताएं:

(क) **कोल्ड स्टोरेज चेंबर्स साइजिंग और केपेसिटी:** कोल्ड स्टोरेज की ले आउट प्लान को दर्शाने वाले रेखा चित्र निर्धारित बुनियादी डेटा शीट के साथ कोल्ड स्टोरेज की योजना को सत्यापित किया जाना आवश्यक है। बुनियादी डेटा शीट एवं संबंधित कोल्ड स्टोरेज के तकनीकी मानकों के अनुसार निर्माण किया होना चाहिए। केंद्र / राज्य सरकार के मंत्रालय/ विभाग या अन्य किसी राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय मानक डिजाइन का उपयोग किया जाएगा जैसा कि विवरण **अनुलग्नक V** में दिया गया है। भौतिक निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी द्वारा डेटा शीट एकत्र की जाएगी। कोल्ड स्टोरेज की क्षमता की मानदंडों के अनुसार की जाएगी जैसे कि एनएचबी/एनसीसीडी दिशानिर्देशों में वर्णित है अर्थात 3.4 घन मीटर अथवा 120 घन फीट नियंत्रित तापमान भंडारण स्थान 1 मीट्रिक टन के बराबर होगा।

(ख) मशीन कक्ष, जनरेटर कक्ष, प्रशासनिक ब्लॉक और उपयोगिता क्षेत्र

(ग) कोल्ड स्टोर के दरवाजे / आपातकालीन दरवाजे और हवा/ स्ट्रिप बेरियर ओर पर्दे

(घ) एंट रूम, प्रोसेस /हैंडलिंग एरिया और प्रिकूलिंग यूनिट

(ङ) शीतलन प्रणाली डिजाइन विवरण (शीतलन प्रणाली विन्यास: यांत्रिक प्रशीतन)

(च) प्रशीतन उपकरण

(छ) विद्युत प्रतिष्ठान

ii) भंडारण की स्थिति, माल के भंडारण और कोल्ड स्टोरेज में स्टैकिंग: सामान संग्रहीत करने के लिए आवश्यक तापमान, सापेक्ष आर्द्रता सीओ 2 की उपस्थिति, एथिलीन, वायु परिसंचरण, प्रकाश आदि पर्याप्त होना चाहिए

iii) उपकरण (वजन, हैंडलिंग, आदिसहित), आइटम (रासायनिक, इलेक्ट्रॉनिक, आदि सहित), प्रयोगशाला सुविधाओं के लिए उपकरणों सहित वस्तुओं और अन्य प्रणालियों के भौतिक और रासायनिक विश्लेषण: कोल्ड स्टोरेज में उपकरण, सुविधाएं और सिस्टम जैसा कि ऑनलाइन दर्शाया गया है, इसकी उपलब्धता, पर्याप्तता और काम करने की स्थिति और के लिए जांच की जाएगी तथा वास्तविक निष्कर्षों को दर्ज किया जाना चाहिए।

iv) सुरक्षा व्यवस्था: भंडागार (कोल्ड स्टोरेज) के परिसर और स्टॉक की सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए। अपेक्षित वाच एवं वार्ड स्टाफ के अलावा, कोल्ड स्टोरेज में एक उचित पक्का चारदीवारी तथा सुरक्षित गेट होना चाहिए। दरवाजा/ दरवाजों पर सुरक्षा कक्ष होना चाहिए भंडागार परिसर में वाच एंड वार्ड के लिए रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था भी होनी चाहिए।

v) अग्निशमन की व्यवस्था : यह सुनिश्चित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए कि कोल्ड स्टोरेज और उसमें रखा भंडार अच्छी तरह से आग के खतरों से नुकसान से सुरक्षित हो। सुरक्षा कर्मचारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इसके परिसर में प्रवेश करने वाले कर्मचारी किसी भी मैच बॉक्स, गैस लाइटर, रसायन न ले जाते हैं। कोल्ड स्टोरेज अधिकारी परिसर में आग के किसी भी प्रकोप से बचने के लिए सावधानियां बरतेंगे । "धूम्रपान निषेध" साइनेज प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाएगा। कोल्ड स्टोरेज स्थानीय अग्निशमन कार्यालय द्वारा अनुशंसित और फायर बकेट आग बुझाने वालों उपकरणों की संख्या होगी जैसा कि अनुबंध -II में दिया गया है । हालांकि, इस संबंध में कोल्ड स्टोरेज के लिए और बेहतर विकल्प हो सकता है । आग का पता लगाने और अग्निशमन की विधिवत व्यवस्था / स्थानीय अग्निशमन अधिकारियों द्वारा अनुमोदित पानी की आपूर्ति और अग्निशमन व्यवस्था की जाएगी। खतरनाक माल के भंडारण के मामले में स्थिर पानी की टंकियां उचित क्षमता की प्रदान की जानी चाहिए और हमेशा बनाए रखी जानी चाहिए। आग अलार्म रेफ्रीजरेशन रिसाव अलार्म प्रणाली को कार्यात्मक रखा जाएगा। कोल्ड स्टोरेज यह सुनिश्चित करेगा कि स्थानीय आग अधिकारियों, पुलिस स्टेशन, अस्पताल और भंडागारपल के पते तथा टेलीफोन न. सुरक्षा कक्ष, कार्यालय और विशिष्ट स्थान पर

प्रदर्शित किए जाए ताकि आपातकाल में संबंधित अधिकारियों से बिना किसी देरी के संपर्क किया जा सकता है।

vi) **पर्याप्त प्रशिक्षित जनशक्ति की तैनाती:** गोदाम (कोल्ड स्टोरेज) एक पूर्णकालिक प्रबंधक होना चाहिए जो कि भांडागारण अधिनियम (विकास और विनियमन)2007, भांडागार पंजीकरण नियम दिशानिर्देश, परिपत्रों के प्रावधानों से अच्छी तरह से परिचित हो एवं जल्दी खराब होने वाले वस्तुओं के भंडारण का ज्ञान रखता हो। पूर्णकालिक या अंशकालिक प्रोजेक्ट इंजीनियर होना भी वांछनीय है जो मान्यता प्राप्त पेशेवर संगठन के साथ पंजीकृत होना चाहिए। एक पूर्णकालिक पर्यवेक्षक जो पीएलसी के माध्यम से कोल्ड स्टोरेज के कामकाज की निगरानी कर सकता है और स्टैकिंग, पैकेजिंग और कोल्ड स्टोरेज प्रबंधन से परिचित है कोल्ड स्टोरेज में भी तैनात किया जाना आवश्यक है। इन कर्मियों के अलावा गुणवत्ता ग्रेडिंग जैसी गतिविधियों को करने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्यात्मक कर्मचारी, तौल नमूना, खाता रखने, रिकॉर्ड प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए जा सकते हैं।

vii) **कोल्ड स्टोरेज की भंडारण योग्यता:** कोल्ड स्टोरेज की भंडारण योग्यता संबंधित एजेंसी द्वारा प्रमाणित की जाएगी:

(क) यदि यह एनएचएम/ एचएमएनईएच/ एमआईडीएच/ एनएचबी/ ऐपीडा/ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय/ एनसीसीडी आदि की सरकारी योजनाओं के तहत निर्मित है तो, आवेदक बेसिक डेटा शीट की प्रति प्रस्तुत कर सकते हैं। यह योजना के अधीन सब्सिडी रिलीज करने से पूर्व संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सहित क्रियान्वित करने वाली एजेंसी द्वारा विधिवत अनुमोदित निर्धारित प्रोफॉर्मा में होनी चाहिए।

(ख) यदि भांडागार (कोल्ड स्टोरेज) को ऊपर दिये गए कार्यक्रमों के तहत स्थापित नहीं किया गया है, आवेदक को **अनुलग्नक V** पर दिए गए अनुसार बुनियादी डेटा शीट जमा करनी होगी एवं चार्टर्ड स्नातक मैकेनिकल- प्रशीतन इंजीनियरिंग फर्म से प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा कि:

“ASHRAE फंडामेंटल और रेफ्रिजरेशन हैंडबुक द्वारा अनुमानित लोड पर 5% के सुरक्षा कारक से 10% तक ताप लोड की गणना प्रक्रिया के अनुसार की गई है। डिजाइन ऊर्जा कुशल है, काम करने वाले व्यक्तियों और संग्रहित माल की सुरक्षा एवं पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखा गया है।”

viii) **वार्षिक रखरखाव अनुबंध :(एएमसी)** सभी प्राचालनों को कवर करने वाला वैध एएमसी होना चाहिए जिसे निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान सत्यापित किया जाएगा।

ix) **कोल्ड स्टोरेज व्यवसाय के लिए स्थानीय कानूनों का अनुपालन:** अन्य कानूनों सहित निरीक्षण के दौरान स्थानीय कानूनों का पालन करने की दिशा में अनुपालन को विशेष रूप से सत्यापित किया जाएगा:

- (क) संबंधित राज्य के प्राधिकारी से वेयरहाउसिंग कोल्ड स्टोर लाइसेंस: (यदि लागू हो) वेयरहाउसिंग/ कोल्ड स्टोरेज लाइसेंस, जहाँ भी लागू हो संबंधित प्राधिकारी के नाम के साथ, वैधता अवधि का सत्यापन किया जाएगा। यदि लाइसेंस प्राप्त हो, तो लाइसेंस की एक प्रति प्राप्त की जाएगी-
- (ख) औद्योगिक लाइसेंस/ डीआईसी पंजीकरण (जैसा कि लागू): जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, वैधता अवधि को सत्यापित किया जाएगा।
- (ग) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र स्थानीय कानूनों के तहत (यदि लागू हो): जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, वैधता अवधि को सत्यापित किया जाएगा।
- (घ) अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र/स्वीकृति (यदि स्थानीय कानूनों के तहत लागू हो): जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, वैधता अवधि को सत्यापित किया जाएगा।

भांडागार में भौतिक विश्लेषण प्रयोगशाला और कृषि जिनसों का संरक्षण के लिए आवश्यक न्यूनतम उपकरण

क्र. सं.	उपकरण का नाम	न्यूनतम आवश्यक संख्या
I. अनिवार्य उपकरण		
(ए)	भौतिक प्रयोगशाला में फिक्सर फर्नीचर	
ख)	उपकरण	
1	भौतिक तुला (01 मिसंवेदनशीलता .ग्रा.)	1
2	काउंटर तुला (01 ग्राम संवेदनशीलता)	1
3	हैंडल की जाने वाली भंडारित सभी वस्तुओं के लिए डिजिटल नमी मीटर कैलिब्रेटिड	1
4	चलनी सेट	1
5	स्कूप्स (विभिन्न आकार)	दो सेट
6	फॉरसेप्स और ब्रश	दो प्रत्येक
7	वजन बॉक्स (1 मिसे .ग्रा. 200 ग्राम)	एक जोड़ा
8	चिकनी सफेद सतह उठाए हुए रिम्स के साथ (30 सेमी व्यास) के साथ एनामेल प्लेटें	10
9	नमूना बैग-पॉलिथीन और कपड़ा	आवश्यकता के अनुसार
10	पारखी (बैग ट्राइयर)	आवश्यकता के अनुसार
11	नमूना सील	1
12	आवर्धक काँच (आवर्धन 10X)	2
13	पेट्री डिश (80X70 मिमी)	आवश्यकता के अनुसार
14	माप सिलेंडर (5 मिसे .ली. 50 मि.ली.) ग्रेड्यूएटिड	
(ग)	कीट मुक्ति	
1	अनुशंसित कीटनाशक (रोगनिरोधी और उपचारात्मक) और चूहा नियंत्रण	आवश्यकता के अनुसार
2	चूहा पिंजरे (वंडर ट्रेप)	आवश्यकता के अनुसार

3	थर्मोप्लास्टिक धूमन कवर (आईएस नंबर 13217: 1991) अथवा	आवश्यकता के अनुसार
4	बहुस्तरीय क्रॉस लेमिनेटिड धूमन शीट/कवर आईएस 14611: 1998)	आवश्यकता के अनुसार
5	पैर /हाथ स्प्रेयेर्स	
6	सैंड स्नेक्स	आवश्यकता के अनुसार
7	चिपकने वाला टेप	आवश्यकता के अनुसार
(घ) अन्य आइटम / उपकरण		
1	तिरपाल	2
2	सीढ़ी	1
3	प्राथमिक उपचार बॉक्स	1
4	अग्निशामक उपकरण	जैसा कि अनुलग्नक (V) में निर्धारित है
5	आग बुझाने की बाल्टियाँ	जैसा कि अनुलग्नक (V) में निर्धारित है
6	प्लेटफार्म स्केल	आवश्यकता के अनुसार
(ङ) सुरक्षा उपकरण		
1	गम बूट	जरूरत के अनुसार
2	गोगल्ज	आवश्यकता के अनुसार
3	गैस मास्क तथा एल्प सहित प्रयोग के (पूरा विज़न फ़ेस मास्क) लिए कनस्तर	आवश्यकता के अनुसार
(च) इनेज सामग्री		
1	पोलिथिन फिल्म	आवश्यकता के अनुसार
2	बाँस की चटाइयाँ	आवश्यकता के अनुसार

3	लकड़ी के क्रेटपोलिक्रेट /	आवश्यकता के अनुसार
II. वांछनीय उपकरण *		
1	हेक्टोलीटर वजन उपकरण	1
2	नमूना डिवाइडर	1
3	वर्नियर कैलिपर (मैनुअल / डिजिटल)	1
4	थर्मो-आर्द्रतामापी	2
5	ग्लास वेअर (बीकर 500 मिलीलीटर, फ़नल, फ्लास्क कोनिकल 200 मिली और 500 मिली)	दो प्रत्येक
6	फिल्टर पेपर	आवश्यकता के अनुसार
7	रासायनिक अभिकर्मक: (i) मिथाइलीन ब्लू घोल (ii) हल्का हाइड्रोक्लोरिक एसिड (iii) वाष्पित जल (चावल में डी-हस्कड दानो निर्धारण के लिए)	आवश्यकता के अनुसार
8	नमूना ट्यूब	10
9	मैटल प्रोब (एएलपी टैबलेट डालने के लिए 12 फीट लंबा)	आवश्यकता के अनुसार
10	फॉस्फिन अलर्ट व्यक्तिगत मॉनिटर	1
11	फॉस्फिन गैस मॉनिटर	1
12	टूल बॉक्स (कीटनाशक प्रयोग के उपकरणों की मामूली मरम्मत के लिए)	आवश्यकता के अनुसार
13	टूल बॉक्स (कीट नाशकों के प्रयोग में छोटी छोटी मरम्मत के लिए)	आवश्यकता के अनुसार
14	डस्ट मास्क	आवश्यकता के अनुसार
15	एप्रन	आवश्यकता के अनुसार
16	पुनर्जीवनकर्ता	1
17	एससीबीए (स्व नियंत्रित श्वास उपकरण)	आवश्यकता के अनुसार

* ये उपकरण वांछनीय हैं, लेकिन भांडागार के पंजीकरण के लिए अनिवार्य नहीं हैं

अनुलग्नक - II

उपयुक्त प्रकार के विभिन्न क्षमता वाले भंडागारों में रेत और पानी के साथ आग बुझाने वाली बाल्टी और आग बुझाने वाले उपकरणों के मानक

क्रम सं.	भांडागार की क्षमता	आग बुझाने वाले उपकरणों की सं.	आग बुझाने वाली बाल्टियों की सं
1	1,500 एमटी तक	3	15
2	1,500 एमटी से ऊपर और 3,000 एमटी तक	4	20
3	3,000 मीट्रिक टन से अधिक और 5,000 मीट्रिक टन तक	6	30
4	5,000 मीट्रिक टन से अधिक और 10,000 मीट्रिक टन तक	8	40
5	10,000 मीट्रिक टन से अधिक और 15,000 तक एमटी	10	50
6	15,000 एमटी से ऊपर और 25,000 तक एमटी	15	75
7	25000 एमटी से ऊपर	25	125

नोट: आग की की श्रेणी के अनुसार उपयुक्त प्रकार के एक्सटिंग्वर

आग का प्रकार		आग बुझाने के उपकरण का प्रकार
श्रेणी	विवरण	
श्रेणी क	ठोस को शामिल करने वाली आग कार्बनिक दहनशील सामग्री की प्रकृति जैसे लकड़ी, कागज, रबर, प्लास्टिक, आदि, आग बुझाने के लिए पानी का शीतलन प्रभाव जरूरी।	पानी, फोम, एबीसी ड्राई पावर और हेलोकार्बन।
श्रेणी ख	ज्वलनशील को शामिल करने वाली आग तरल पदार्थ या द्रवीभूत या जैसे कंबल प्रभाव आवश्यक है उदाहरणतः, पैराफिन, पेट्रोल।	फोम, सूखा पाउडर, क्लीन एजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक

श्रेणी ग	ज्वलनशील गैसों के दबाव में तरलीकृत गैस, जहां तेज दर से जलती हुई गैस को निष्क्रिय गैस, पाउडर या वाष्पशील तरल से रोकना आवश्यक है, उदाहरण : मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन।	ड्राई पाउडर, क्लीन एजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड से आग बुझाने वाले उपकरण।
श्रेणी घ	दहनशील जैसे मैग्नीशियम धातु, एल्यूमीनियम, जस्ता, सोडियम, पोटेशियम, आदि, जब जलती धातुएं पानी के प्रति और पानी युक्त एजेंट और कुछ मामलों में कार्बन डाइऑक्साइड, हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन तथा साधारण सूखा चूर्ण प्रतिक्रियाशील होती हैं। इन आग को बुझाने के लिए विशेष मीडिया और तकनीको आवश्यक है। उदाहरण मैग्नीशियम, टाइटेनियम, एल्यूमीनियम।	आग धातु के लिए विशेष सूखा पाउडर के साथ अग्निशामक
श्रेणी ड	बिजली की आग। लाइव विद्युत प्रतिष्ठानों पर आग बुझाने के उपकरण का चयन और उपयोग का फैसला जरूरी है। वह अग्निशामक जिसका विद्युत चालकता परीक्षण हो चुका है केवल उसका उपयोग किया जाना चाहिए	कार्बन डाइऑक्साइड

2. आवेदक द्वारा संबंधित भांडागार के स्वामित्व को प्रदर्शित करने के लिए दस्तावेज

आवेदक को विचारधीन भांडागार के स्वामित्व प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे

(क) वेयरहाउस जमीन के अधिकारो के रिकॉर्ड की प्रतिलिपि जिस पर संबंधित भांडागार स्थित है;या

(ख) यदि अधिकारों का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो जमीन के संबंध में एक पंजीकृत शीर्षक विलेख जिस पर संबंधित भांडागार स्थित है।

आवेदक द्वारा संबंधित भांडागार के प्रभावी नियंत्रण को प्रदर्शित करने के लिए दस्तावेज

आवेदक को संबंधित भांडागार पर प्रभावी नियंत्रण प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा-

1. संबंधित भांडागार के संबंध में लीज डीड या किराया समझौते की एक प्रति, या आवेदक के पक्ष में पट्टे या किराए पर लेने वाले कोई भी अन्य दस्तावेज;
2. उपपट्टे के मामले में-, पट्टा विलेख की एक प्रति जो यह दर्शाता है कि उपपट्टे की अनुमति है-, और उपपट्टा विलेख की एक प्रति।- लीज डीड के साथ उपलीज की अनुमति होनी चाहिए।-
3. भांडागार के प्रबंधन और संचालन करने के लिए आवेदक के पास संबंधित भांडागार के संबंध में एक राजस्व साझाकरण समझौता;
4. नगर निगम स्थानीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण पत्र / पंचायत /, यदि मामला नगर निगम स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाली भूमि पर आवेदक के पक्ष में भांडागारण के / पंचायत / व्यवसाय को अंजाम देने का हो;
5. भूमि भांडागार के /वैध कब्जे को दर्शाने वाला संबंधित कृषि उपज विपणन समित या बोर्ड से पट्टा दस्तावेज की प्रति; या
6. आवेदक के पक्ष में भूमि र का कब्जा संबंधित राज्य सरकार द्वारा आबंटन पत्र की भांडागा / प्रतिलिपि

अनुलग्नक V

कोल्ड स्टोरेज के लिए मोडेल बेसिक डेटा शीट (जैसा कि लागू है एनएचबी के प्रासंगिक तकनीकी मानकों की धारा 2)

क) पहचान

भांडागार का नाम (कोल्ड स्टोरेज)			
भांडागार का स्थान (कोल्ड स्टोरेज)	क्षेत्र गाँव /	नगर	
	जिला	राज्य	
प्रमोटर कंपनी /मालिक का नाम			
कंपनी का प्रकार प्राइवेट / पार्टनरशिप / प्रोपराइटरशिप)लिमिटेड (लिमिटेड /			
प्रमोटर का डाक पता	टेल / फैक्स	मोबाइल न.	ईमेल-
संक्षिप्त में वर्तमान गतिविधि			
सीईओ/एमडी का नाम			
प्रबंधक संपर्क व्यक्ति का नाम /		फोन /मोबाइल न.	

ख. बेसिक कोल्ड स्टोर डिज़ाइन

i) कमोडिटी स्टोरेज आवश्यकताएं

कमोडिटी उत्पाद का पता /	
आदर्श/ अनुशंसित भंडारण की स्थिति - तापमान सी) में डीबी) - आर्द्रता आरएच रेंज (%) - एयर सर्कुलेशन सीएमएच)/ एमटी ऑफ प्रोड्यूस(- वेंटिलेशन (दिन / वायु परिवर्तन) - सीओ 2 रेंज एमपीपी - कूलिंग रेट (oC/दिन)	

- हिमांक बिंदु 0C - अन्य	
कोल्ड चेंबर ड्राई बल्ब (0C में डीबी)	
शीत कक्ष आरएच (%)	
अधिकतम संग्रहण अवधि (महीने)	
अधिकतम उत्पाद तापमान (0C) लोडिंग के समय -	
दैनिक लोडिंग दर (एमटी/दिन) - प्रत्येक कोल्ड चेंबर में	
लोड अवधि (महीने)	
पुल डाउन रेट (0C/दिन)	
उतराई अवधि (महीने)	
दैनिक उतराई दर (दिन / एमटी) प्रत्येक कोल्ड कक्ष से -	
एंटे रूम कंडीशन (0C और आरएच%)	
छंटाई और ग्रेडिंग क्षेत्र (0C और आरएच%)	
विशेष प्रावधान प्रोसेस्ड आलू के लिए -सीआईपीसी उपचार	
विशेष प्रावधान एथिलीन / एमए - नियंत्रण ताजी हवा आदि / धूमन /	

ii) ताजा वायु /वेंटिलेशन सिस्टम

CO2 निष्कर्षण का संक्षिप्त विवरण / हवादार प्रणाली	
सीओ 2 एकाग्रता नियंत्रण रेंज (पीपीएम)	
निगरानी और नियंत्रण साधन प्रकार - सटीकता -	
वेंटिलेशन क्षमता	
एनर्जी रिकवरी के लिए डिजाइन तथा उपज को गीला करना रोकना	

iii) कोल्ड स्टोर चेंबर का आकार और क्षमता

1. कक्षों की संख्या:
2. प्रकारपैलेटाइज्ड / मेजेनाइन :
3. बिल्डिंग की अधिकतम ऊँचाई

विवरण	सीएस चेंबर 1	सीएस चेंबर -2	सीएस चेंबर -3	सीएस चेंबर -4
प्रत्येक कोल्ड स्टोर की कुल क्षमता (चेंबर .ट.मि))				
आंतरिक चेंबर माप L x B x H (m)				
मेजेनाइन फर्श की संख्या प्रति (मंजिल X ऊँचाई मीटर)				
स्टोर किए जा रहे बैग या बक्से का आकार और वजन				
प्रत्येक कोल्ड स्टोर चेंबर में संगृहीत किए गए बोरों बॉक्सों / तथा क्रेटों की कुल संख्या				

iv) एंट रूम और प्रक्रिया क्षेत्र

विवरण	लंबाई (एम)	चौड़ाई (एम)	ऊंचाई (एम)
एंट कक्ष			
छँटाई और ग्रेडिंग क्षेत्र			
लोडिंग /अनलोडिंग डॉक			

v) मशीन कक्ष और उपयोगिता क्षेत्र

विवरण	लंबाई (एम)	चौड़ाई (एम)	ऊंचाई (एम)
मशीन रूम			
कार्यालयी क्षेत्र			
शौचालय और चेंजिंग कमरे			
कोई अन्य			

vi) भवन और निर्माण विवरण

- निर्माण का प्रकार: सिविल इंजीनियर बिल्डिंग-प्री /

कोल्ड चेम्बर की बाहरी दीवारों का प्रकार	
आंतरिक /विभाजन दीवारों का प्रकार	
छत/ सीलिंग का प्रकार	
आंतरिक /संरचना रैक का प्रकार	
मेज़ानाइन ग्रेटिंग का प्रकार	
कोल्ड चेम्बर में प्रकाश फिक्सर के प्रकार	
फिक्सर के प्रकार में प्रकाश की प्रक्रिया एवं अन्य क्षेत्र	

vii) इन्सुलेशन और वाष्प अवरोध

- इंसुलेशन का प्रकार: इंसुलेटिंग शीट्स मेटल स्किन कम्पोजिट पैनल /

इंसुलेशन का प्रकार	दीवार		सीलिंग छत /	फर्श
	बाहरी	आंतरिक		
सामग्री का प्रकार ईपीएस / धातु स्किन पीयूएफ कम्पोजिट पीयूआर / एक्सपीएस / पैनल, अन्य				
प्रासंगिक आईएस कोड				
घनत्व एम / किग्रा)3) + 10 डिग्री सेल्सियस पर				
थर्मल चालकता k मान) / mK)				
थर्मल डिफ्यूसिटी एम 2 / एच				
जल वाष्प संचरण दर, एनजी / Pa.sm, मैक्स 24 घंटों के बाद पानी का अवशोषण विसर्जन, प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान। प्रासंगिक आईएस अभ्यास संहिता कोल्ड स्टोर का थर्मल इंसुलेशन				
कुल इन्सुलेशन मोटाई (मि.मी.)				
परतों की संख्या और मोटाई / परत (मि.मी.)				

वाष्प अवरोध और मोटाई का प्रकार (माइक्रोन)			
बिटुमिनस स्टिकिंग का प्रकार /			
यौगिक क्लैडिंग / कवर / बाहरी फिनिशिंग के प्रकार			
लॉकिंग फिक्सिंग और सील / सिस्टम के मामले में मेटल स्किन समग्र पैनल			
कोई अन्य जानकारी			

viii) कोल्ड स्टोर के दरवाजे और एयर कर्टेन

इंसुलेशन का प्रकार	विवरण
इंसुलटेड दरवाजों की सं.	
हिंगेड स्लाइडिंग टाइप	
इंसुलेशन पदार्थ ईपीएफ़ अन्य / पीयूएफ़ /	
इंसुलेशन की मोटाई (मि.मी.)	
क्लैडिंग का प्रकार	
दरवाजा ओपनिंग का आकार	
स्ट्रिप कर्टेन का प्रावधान % और ओवरलैप संख्या	
एयर कर्टेन, यदि कोई हो	
अन्य	

ix) सामग्री हैंडलिंग

- प्रस्तावित प्रक्रिया: मैनुअल स्वचालित / अर्ध स्वचालित

प्रक्रिया	संक्षिप्त विवरण
सामग्री हैंडलिंग प्रक्रिया और उपकरण	
इलेक्ट्रिक लिफ्ट की कैप मोटर की रेटिंग (किलोवाट)	
कोई अन्य उपकरण	

X ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, वॉशिंग तथा पैकिंग लाइन (वैकल्पिक)

- प्रस्तावित प्रैक्टिस: मैनुअल ऑटोमेटिड / सेमी ऑटो मेटिड

प्रक्रिया	संक्षिप्त विवरण
प्रोसेस लाइन	
कुल कनेक्टेड लोड (केडबल्यू))	

वैधानिक भवन उपनियम और बीआईएस बिल्डिंग कोड और मानक प्रस्तावित कोल्ड स्टोर इकाई की योजना और लेआउट और पंजीकृत वास्तुकार और संरचनात्मक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित। रेखांकन अनुभागीय में इन्सुलेशन प्रकार, मोटाई और फिक्सिंग पद्धति का विस्तृत विवरण संलग्न करें।

(ग) शीतलन प्रणाली की हीट लोड गणना - सारांश

आसपास की स्थितियाँ	गर्मी	मानसून	सर्दी
शुष्क बल्ब तापमान (डिग्री सेल्सियस)			
गीला बल्ब तापमान (डिग्री सेल्सियस)			

रेफ्रिजरेशन लोड	लोडिंग के दौरान (किलोवाट)	पुल डाउन के दौरान (किलोवाट)	होल्डिंग के दौरान (किलोवाट)
ट्रांसमिशन लोड			
उत्पाद लोड			
अंदर का लोड	लाइटिंग लोड धारिता लोड		
इनफिल्ट्रेशन लोड			
वेंटिलेशन फ्रेश एयर / लोड			
उपकरण लोड फैन - मोटर्स आदि।			
कुल लोड (किलोवाट/ 24 घंटे)			

कंप्रेसर ऑपरेशन घंटे / दिन	लोडिंग अवधि		
	पुल डाउन अवधि		
	होल्डिंग अवधि		
मल्टीप्लायर	सुरक्षा पहलू		
	डिफ्रॉस्ट अवधि		
कुल रेफ्रिजरेशन लोड	पीक अवधि	होल्डिंग अवधि	लीन अवधि
कुल लोड (वाॅट किलो)			

निर्धारित तकनीकी मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार विधिवत अनुमोदित योग्य इंजीनियर से कृपया प्रस्तावित कोल्ड स्टोर यूनिट की विस्तृत हीट लोड गणना शीट संलग्न करें ।

(घ) शीतलन प्रणाली डिजाइन और उपकरण चयन

i) कूलिंग सिस्टम कॉन्फिगरेशन

रेफ्रिजरेट का प्रकार	अमोनिया/ फ्रीन/ अन्य
सिस्टम का प्रकार	डायरेक्ट एक्सप ओवरफी / ग्रेविटी फीड
कंप्रेसर का प्रकार	पारस्परिक स्क्रॉल / पेंच /अन्य
क्षमता नियंत्रण का प्रकार	ऑटोमेटिक इन स्टेप/ स्टेप लैस
कंडेंसर का प्रकार	वायुमंडलीय शैल और ट्यूब / बाष्पीकरणीय / प्लेट हीट/ एक्सचेंजर अन्य /
कूलिंग टावर्स (लागू हो यदि)	एफआरपी प्रेरित ड्राफ्ट/अन्य
कूलिंग काँइल का प्रकार	सीलिंग निलंबित अन्य / फ्लोर माउंटेड /
डीफ्रॉस्टिंग का प्रकार	वायु/ पानी/ एलेक्ट्रिक/ गर्म गैस
ह्यूमिडिफिकेशन सिस्टम एंड कंट्रोल (संक्षिप्त विवरण)	

ii) कंप्रेसर विवरण

कंप्रेसर मेक एवं मॉडल	सं.	कम्प. आरपीएम	ऑपरेटिंग पैरामीटर ईवीएपी. (एसएसटी) / कॉंड। तापमान (oC)	प्रशीतन क्षमता (किलोवाट)	मोटर रेटिंग (किलोवाट)	संपूर्ण बिजली शक्ति। (BKW)	टिप्पणियों चालू /स्टैंडबाई

iii) कंडेनसर विवरण

कंडेनसर मेक एवं मॉडल	सं.	संचालन पैरामीटर कॉड. तापमान (एसडीटी)/ इन/ आउट पानी का तापमान (oC) और प्रवाह (lps)	कंडेनसर क्षमता (किलोवाट)	बिजली पंखा / पम्प मोटर रेटिंग (किलोवाट(संपूर्ण बिजली सी शक्ति (BKW)	टिप्पणियों काम कर रहा/ स्टैंडबाइ

iv) कूलिंग टॉवर विवरण (यदि लागू हो)

शीतलक टावर मेक एवं मॉडल	सं.	संचालन पैरामीटर DB और WB तापमान, इन आउट / पानी तापमान (oC)	शीतलक टावर क्षमता (किलोवाट)	पंखा & पंप क्षमता (CMH / LPS) और मोटर (किलोवाट(संपूर्ण बिजली शक्ति (BKW)	टिप्पणियों काम कर रहे / स्टैंडबाइ

v) एयर कूलिंग यूनिट (एसीयू)

एसीयू मेक एवं मॉडल	सं.	ऑपरेटिंग पैरामीटर एस एवाप। (एसएसटी) और *टीडी (oC)	शीतलक क्षमता (किलोवाट)	वायु फ्लो (सीएमएच) और फ़ेस वेलोसिटी	सामग्री का कुंडलट्यूब एवं फ़िंस	फिन पिच (मिमी)	संपूर्ण पंखा बिजली पावर (बीकेडबल्यू)

(*) टीडी - वाष्पीकरण के बीच तापमान अंतर। (एसएसटी) ओसी और रिटर्न एयर (कॉइल इनलेट पर)।

कृपया कंप्रेसर्स के प्रत्येक उपकरण के विस्तृत तकनीकी डाटा शीट संलग्न करें, कंडेनसर, कूलिंग वर्स, एयर कूलिंग यूनिट्स जो सामान्य लेआउट, आयाम, निर्माण की सामग्री, रेटेड क्षमता, ऑपरेटिंग पैरामीटर और सीओपी (कृपया ध्यान दें एयर कूलिंग यूनिट डेटा शीट में गर्मी हस्तांतरण क्षेत्र, फिन रिक्ति, संपंक्तियों, वायु प्रवाह, फेस के वेग, पंखे के स्थिर होने, हवा फेंकने, पंखे की मोटर बीकेडबल्यू / केडबल्यू, फिन रिक्ति, आदि) संबंधित उपकरण निर्माताओं द्वारा विधिवत प्रमाणित के संदर्भ में प्रासंगिक कोड और मानक।

ड) इलेक्ट्रिकल इन्स्टालेशन

कुल कनेक्टेड लोड (कि. वा.)	
पीक लोड अवधि (बीकेडबल्यू) पर अनुमानित बिजली की आवश्यकता	
होल्डिंग लोड अवधि (बीकेडबल्यू) पर अनुमानित बिजली की आवश्यकता	
लीन पर अनुमानित बिजली की आवश्यकता लोड अवधि (बीकेडबल्यू)	

ट्रांसफार्मर की क्षमता (किलोवाट) (प्रस्तावित)	
शक्ति कारक के लिए कैपेसिटर का आकार सुधार और उनके संचालन	
स्टैंडबाई डीजी सेट (किलोवाट) मेक और क्षमता	

च) सुरक्षा प्रावधान

अग्निशमन यंत्रों का विवरण	सूखा	
	पानी आधारित	
हैंडलिंग रेफ्रिजरेटर और लीक	रिसाव का पता लगाना	
	हैंडलिंग उपाय	
सुरक्षा उपकरण आउट-एचपी कट / एलपी -, सुरक्षा वाल्व, बंद वाल्व आदि		
आपातकालीन अलार्म सिस्टम का विवरण ठंडे कक्षों में एवं पुश बटन सिस्टम		
शीत कक्षों और अन्य क्षेत्रों में आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था		
लाइटनिंग ओरेस्टर्ज		
कोई अन्य सुरक्षा प्रावधान		

छ) कोड और मानक का पालन किया

भवन डिजाइन और संरचना	
निर्माण सामग्री	
थर्मल इन्सुलेशन और अनुप्रयोग	
प्रशीतन उपकरण और सिस्टम	
इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम	
खाद्य सुरक्षा	
अन्य	

ज) ऊर्जा बचत उपकरण और उपाय

ऊर्जा बचत उपकरणों का विवरण	संक्षिप्त विवरण और बचत
लाइट फिक्स्चर सीएफएल / एलईडी	
सामान्य क्षेत्रों के लिए प्राकृतिक प्रकाश व्यवस्था	
पंखों/ कम्प्रेसर के लिए वीएफडी	
रेफ्रीजिरेट नियंत्रण और स्वचालन	
एयर प्यूजर	
पावर फैक्टर नियंत्रक	
ऊर्जा वसूली हीट- वेंटिलेशन प्रणाली के लिए एक्सचेंजर	
अक्षय / सौर ऊर्जा जैसे पीवी प्रकाश	
पीएलसी नियंत्रण, और डेटा अधिग्रहण	
कोई अन्य सुविधाएँ जैसे पानी रीसाइक्लिंग, वर्षा जल संचयन...	

झ) संचालन और रखरखाव

विवरण	सं./ विवरण
ऑपरेशन और रखरखाव के लिए प्रस्तावित कर्मचारी	
प्रस्तावित वार्षिक रखरखाव अनुबंध (यदि कोई हो)	
प्रशिक्षण और निवारक रखरखाव प्रक्रियाएँ	
स्वच्छता और साफ-सफाई	
प्रदूषण नियंत्रण	

ञ) प्रस्तावित शीतगृह के अनुमानित प्रदर्शन पैरामीटर

पैरामीटर	शिखर अवधि	होल्डिंग की अवधि	लीन अवधि
प्रदर्शन के गुणांक (COP) कोल्ड स्टोर यूनिट के भंडारण की ओर बिजली की लागत (रु./दिन/मिलिटन)			
बिजली की खपत (दिन / केडब्ल्यूएच)			
कुल बिजली लागत (रु./दिन)			
भंडारण की ओर बिजली की लागत (रु./दिन/मिलिटन)			

ट) अन्य जानकारी**संलग्नक-**

1. आवेदक को कोल्ड स्टोर लेआउट, पीएंडआई सहित ऐंज बिल्ड ड्राइंग जमा करनी होगी। बिजली की ड्राइंग और एजेंसी द्वारा उसे भेजे गए रख रखाव मेनुअल-प्रशीतन अनुबंध एवं अतिरिक्त स्पेयर पार्ट्स की सूची देनी होगी।

- II. संतोषजनक रूप से शुरू करने के प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी क्लिंग सिस्टम निर्धारित संकेतक के अनुसार प्रदर्शन संकेतक के अनुरूप है- एजेंसी द्वारा उसे जारी किए अनुसार प्रशीतन अनुबंध।

नोट- निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार स्थापित किए गए पुराने भंडारण के लिए इस संबंध में डीएसी और किस केस कार्यान्वयन प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। एनएचएम / HMNEHA / NHB / APEDA / MOFPI आदि की सरकारी योजनाएं, आवेदक हो सकती हैं। इस तरह की योजना द्वारा अनुमोदित निर्धारित प्रारूप में मूल डेटा शीट की एक प्रति प्रस्तुत करें। आशय पत्र जारी करने के समय के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति में कार्यान्वयन / एजेंसीपरियोजना का प्रस्ताव और जारी होने से पहले तैयार संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट की एक प्रति भी कोल्ड स्टोरेज की भंडारण योग्यता के प्रमाण के रूप में संगलन इस योजना के तहत सब्सिडी। आवेदन की तारीख से पहले नवीनतम स्थिति जे अनुसार इस प्रावधान द्वारा कवर नहीं किए गए कोल्ड स्टोरेज के लिए आवेदन पत्र मूल डेटा शीट निम्नलिखित प्रारूप में जमा करना होगा।

स्थान
दिनांक.....

हस्ताक्षर और
मोहर के साथ भांडागारपाल का नाम

स्थान
दिनांक.....

हस्ताक्षर और
मोहर के साथ प्रोजेक्ट इंजीनियर का नाम

अनुसूची 7: प्रणाली/ प्रक्रिया/ स्टॉक निरीक्षण के मानक तथा भांडागारों का सामान्य निरीक्षण

1. परिचय:

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण (डबल्यूडीआरए) के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य अपने हितधारकों जैसे जमाकर्ताओं, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों, कोममोडिटी एक्सचेंजों आदि का परक्राम्य भांडागार रसीद प्रणाली पर न्यासीय विश्वास बढ़ाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी पर्यवेक्षण व्यवस्था तथा सशक्त निरीक्षण प्रणाली आवश्यक है।

2. निरीक्षण के उद्देश्य:

निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य भांडागार द्वारा (I) निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन (II) माल की देखभाल तथा परिरक्षण (III) खातों और अन्य अभिलेखों का अद्यतन एवं रख रखाव (IV) डबल्यूडीआरए के साथ पंजीकरण जारी रखने हेतु तथा अन्य नियामक आवश्यकताओं को ध्यान में लेते हुए भांडागार में उचित और स्वस्थ कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना और उसे बढ़ावा देना है। अतः निरीक्षण का उद्देश्य परक्राम्य भांडागार रसीद धारको एवं एनडबल्यूआर बाजार के जोखिमों का कम करना है:-

(क) एनडबल्यूआर धारको के जोखिम

- I. माल के परिरक्षण की खराब गुणवत्ता
- II. माल अथवा जमाकर्ता तथा बाद में एनडबल्यूआर धारक के विवरण की गलत रिकॉर्डिंग
- III. धोखा धड़ी, चोरी, संधमारी और प्राकृतिक आपदाएँ; तथा
- IV. माल की डिलिवरी न दिया जाना

(ख) एनडबल्यूआर बाजार के जोखिम: यह जोखिम बाजार सुरक्षा में विनियामक प्रणाली की विफलता के कारण उत्पन्न होती है :-

- I. अपर्याप्त अनुपालन आवश्यकताएँ;
- II. निम्नलिखित के कारण एनडबल्यूआर बाजार का अपर्याप्त सुपरविजन
 - सुपरविजन को कम प्राथमिकता देना; तथा/ अथवा
 - पर्यवेक्षी ढांचे का दोषपूर्ण डिज़ाइन जिसके कारण डबल्यूडीआरए एनडबल्यूआर बाजार की जोखिमों को नहीं देख पाता जो कि एनडबल्यूआर मार्केट के लिए वास्तविक खतरा है।

3. निरीक्षण के घटक:

स्टॉक निरीक्षण किसी भांडागार निरीक्षण का एक प्रमुख घटक है क्योंकि यह पंजीकृत भांडागारों के जोखिम प्रोफाइल की सही तस्वीर पेश करता है। प्राधिकरण सामान्यता उन भांडागारों के संबंध में स्टॉक निरीक्षण करेगा जो अधिक संख्या में तथा उच्च मूल्य वाली परक्राम्य भांडागार रसीदें (प्राधिकरण द्वारा तय की जाने वाली सीमा के अंदर) जारी करते हैं ताकि एनडबल्यूआर में परिलक्षित वस्तुओं की भौतिक मात्रा और गुणवत्ता सहित भांडागार में मौजूद स्टॉक की पुष्टि हो

सके। एनडबल्यूआर की अखंडता के संबंध में अनुपालन, बुनियादी ढांचे का अनुपालन, नियामक आवश्यकताओं और मानक परिचालन प्रक्रियाओं को देखने के लिए भांडागारों का निरीक्षण अब ऑनलाइन प्रारूप में तथा पैनल में रखे गए निरीक्षण अधिकारियों के लॉग-इन पर उपलब्ध है।

4. बुनियादी ढांचे का भौतिक निरीक्षण:

गोदामों की भंडारण-योग्यता, रख रखाव, मरम्मत तथा साफ सफाई देखने के लिए निरीक्षण शुरू करने के तुरंत बाद भांडागार का वॉक थ्रू इसमें शामिल है। पक्की चार दिवारी/ कांटेदार तार की बाड़, उचित सुरक्षा गेट तथा अन्य संरचनात्मक आवश्यकताओं के साथ भांडागार की सुरक्षा व्यवस्था की जाँच विशेष रूप से की जाएगी। वॉक थ्रू के दौरान उपकरणों, अप्रोज्य स्टॉक/ उपभोग्य आइटमों का भंडारण भी देखा जाएगा। इसके अतिरिक्त आग तथा पर्यावरणीय खतरों, बाढ़ से सुरक्षा, सड़क संपर्क आदि भी देखा जाएगा।

5. स्टॉक निरीक्षण:

स्टॉक निरीक्षण अलग से तथा समान्यता निरीक्षण के भाग रूप में भी किया जाता है। स्टॉक निरीक्षण के दौरान मुख्य सत्यापन इस प्रकार होंगे:-

5.(क) स्टॉक का सत्यापन

स्टॉक के सत्यापन में लेन-देन का अवलोकन, स्पिलेज खाते का रख रखाव एवं एनडबल्यूआर के अंतर्गत कवर किए गए स्टॉक से संबन्धित मात्र, परीक्षण वजन, गुणवत्ता के संदर्भ में स्टॉक का गोदामवार सत्यापन शामिल है।

- I. भांडागार में आने पर, निरीक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि स्टॉक का भौतिक सत्यापन पूरा होने तक भांडागार में सभी लेन-देन निरीक्षण अधिकारी की जानकारी में किए जायेंगे। निरीक्षण अधिकारी को ढेर या बोरों में स्पिलेज को देखने के लिए सभी गोदामों का चक्कर लगाना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार के हेर फेर से बचाव हो सके।
- II. भांडागार में स्टॉक का सत्यापन जारी की गई एनडबल्यूआर तक सीमित रहेगा तथा तीन पहलूओं को ध्यान में रख कर किया जाएगा अर्थात् (क) पैकेजों का वजन तथा संख्या का सत्यापन (ख) पैकेज में रखी तथा बताई क्मोडिटी का प्रकार तथा ग्रेड (ग) गुणवत्ता के रख रखाव का सत्यापन अर्थात् परीक्षण पहलू देखे जायेंगे।
गुणवत्ता पहलूओं अर्थात् (ख) तथा (ग) का सत्यापन पैरा 7 में दिये गए विवरण के अनुसार किया जाएगा।
- III. निरीक्षण अधिकारी गोदाम से गोदाम में जायेंगे जहाँ एनडबल्यूआर के तहत स्टॉक/ पैकेजों की गणना द्वारा 100% सत्यापन किया जाएगा तथा स्टैक कार्ड तथा स्टैक वार रजिस्ट्रों एवं निरीक्षण अधिकारी द्वारा भौतिक निरीक्षण के समय तैयार स्टॉक-विवरण से मिलान किया जाएगा। इसके साथ ही स्टैकवार रजिस्ट्रों में प्रविष्टियाँ देखी एवं सत्यापित की जाएगी।

- IV. निरीक्षण अधिकारी 10 एनडबल्यूआर अथवा जारी की गई एनडबल्यूआर के 10% में से जो भी संख्या अधिक होगी, का चयन कर वजन परीक्षण करेगा तथा एनडबल्यूआर वजन एवं संबन्धित स्टैकवार रजिस्ट्रो से क्रॉस चैक करेगा।
- V. स्टॉक बैलेन्स (गुणवत्ता और/ या मात्रा) में परिरक्षण की कमी तथा अनियमितताओं के कारण भिन्नता हो सकती है। ऐसे सभी मामलो में निरीक्षण अधिकारी को प्रथमतः तुरंत डबल्यूडीआरए को सूचित करना चाहिए तथा आगे की कार्रवाई के लिए अनुदेश लेने चाहिए। किसी भी मामले में स्टॉक का पूरा सत्यापन किए बगैर निरीक्षण अधिकारी से स्टेशन छोड़ने की उम्मीद नहीं है।
- VI. ऐसे मामले हो सकते हैं, जहाँ दोषपूर्ण स्टैकिंग के कारण स्टॉक सत्यापन संभव नहीं है। ऐसे मामलों में आवश्यक होने पर स्टैक में बैगो की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए उस सीमा तक निरीक्षण अधिकारी स्टैको को तोड़ सकता है। भांडागारपाल पुनः स्टैकिंग के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। इस प्रकार की कार्रवाई के बारे में निरीक्षण रिपोर्ट में ब्योरा दिया जाएगा।

5.(ख) एनडबल्यूआर का सत्यापन

- I. मूल अभिलेखों की जाँच के बाद, निरीक्षण अधिकारी निर्धारित प्रोफॉर्मा (अनुलग्नक-2) में चालू एनडबल्यूआर की सूची तैयार करेगा तब वस्तुवार/ गोदामवार विवरण संकलित किया जाएगा। इन दोनों विवरण के प्रत्येक पृष्ठ पर तारीख सहित निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- II. इन दोनों को संकलित करते हुए, निरीक्षण अधिकारी आवश्यक अभिलेखों का सामान्य परीक्षण करेगा जिनके आधार पर भांडागारपाल द्वारा एनडबल्यूआर तैयार की गई तथा डिलीवरी दी गई।
- III. निरीक्षण अधिकारी कोई भी कम से कम 10 एनडबल्यूआर या पिछले 6 माह में जारी की गई एनडबल्यूआर का 10%, जो भी अधिक हो माल के जमा होने से शुरू करते हुए डिलीवर करने तक अभिलेखों को 100% चेक करेगा। इसमें स्टॉक रजिस्टर, जमाकर्ता लेजर तथा संबन्धित रेकॉर्ड की जाँच शामिल होगी। वह यह चेक करेगा कि क्या एनडबल्यूआर में इंगित मात्रा रेकॉर्डों गेट/ आउटगेट रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों से मेल खाती है। इस प्रकार चयनित बैगो/ पैकेजों का वास्तविक वजन तथा नमूना लिया जाएगा एवं उसकी गुणवत्ता तथा कीटग्रस्तता का पता लगाया जाएगा जैसा की पैरा 7 में दिया गया है।
- IV. एनडबल्यूआर में उल्लिखित स्टॉक की मात्रा तथा गुणवत्ता को बैंको द्वारा सही माना जाता है। अतः यह नितांत आवश्यक है की एनडबल्यूआर द्वारा कवर किए गए रेकॉर्ड तथा गिरवी रखी गई एनडबल्यूआर की गहन जाँच की जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्टॉक वास्तव में भांडागार में मौजूद है तथा एनडबल्यूआर में रेकॉर्ड की गई मात्रा तथा गुणवत्ता के अनुसार है।
- V. निरीक्षण अधिकारी विभिन्न बैंकों में गिरवी रखी गई एनडबल्यूआर के संबंध में भांडागार में रखे गए बैंक लिजन रजिस्टर की जाँच करेगा। निरीक्षण अधिकारी बैंकों का स्वयं दौरा करेगा

तथा एनडबल्यूआर के विरुद्ध गिरवी रखे गए नवीनतम शेष स्टॉक की मात्रा तथा गुणवत्ता का भांडागार के बैंक लियन रेकॉर्ड से चैक करेगा। यदि भांडागार एवं बैंक के रेकॉर्ड में कोई भिन्नता पाई जाती है तो, उसकी जाँच की जाएगी तथा उसका ब्यौरा निरीक्षण रिपोर्ट में दिया जाएगा।

5(ग) क्वालिटी कंट्रोल:

- I. निरीक्षण अधिकारी सत्यापित करेगा कि क्या स्टॉक का ठीक से श्रेणीकरण तथा परिरक्षण किया जा रहा है। वह यह सुनिश्चित करेगा (i) स्टॉक कीटग्रस्तता से मुक्त है तथा एनडबल्यूआर में उल्लिखित के अनुसार है (ii) स्टॉक की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय पर कीटशोधन तथा कीटाणुशोधन उपाय किए गए हैं (iii) संबन्धित रजिस्ट्रों तथा स्टैक कार्डों आदि में आवश्यक प्रविष्टियां कि गई है।
- II. निरीक्षण अधिकारी संबंधित स्टॉक के ग्रेड तथा कीटग्रस्तता के स्तर के संबंध 10 एनडबल्यूआर अथवा भांडागार द्वारा पिछले 6 माह में जारी की गई 10% एनडबल्यूआर में से, जो भी अधिक होंगी, का परीक्षण चैक करेगा जैसा कि पैरा 5 में इंगित किया गया है।

6. उपकरण/ अप्रयोज्य स्टॉक/ उपभोग्य सामान/ डनेज का सत्यापन

निरीक्षण अधिकारियों द्वारा डनेज एवं कीटनाशको सहित उपकरण/ अप्रयोज्य स्टॉक/ उपभोग्य सामान का भी पूरा सत्यापन किया जाना है। आवश्यक विवरण क्रमशः निरीक्षण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किए जाने हैं।

7. लेखा परीक्षा और लेखा

- (क) लेन देन ऑडिट: लेन देन ऑडिट निरीक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे क्रॉस सत्यापन द्वारा एसओपी के अनुपालन के स्तर का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके लिए कहीं से भी चुनी गई 10 एनडबल्यूआर अथवा पिछले 6 माह के दौरान भांडागार द्वारा जारी की गई कुल एनडबल्यूआर का 10% में से, जो भी संख्या अधिक हो का चयन कर सभी लेन देन कार्यों से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों का क्रॉस सत्यापन किया जाना चाहिए। ऐसा करना लेन देन ऑडिट के लिए आवश्यक है जैसा कि पैरा (ग) में उल्लिखित है और इसे निरीक्षण रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा।
- (ख) निरीक्षण अधिकारी भांडागार के निवल मूल्य का सत्यापन निम्नलिखित में से किसी एक आधार पर करेगा:-
 - I. गत वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन पत्र
 - II. आवेदक के साविधिक लेखा परीक्षक द्वारा अनंतिम निवल मूल्य प्रमाण पत्र बशर्ते कि पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन पत्र 12 महीने की अवधि के अंदर प्रस्तुत किया गया है:

III. यदि व्यक्ति ऑडिट के अधीन नहीं आते हैं तो, चार्टर्ड लेखाकार द्वारा प्रमाणित तुलन पत्र।

- (ग) इसके अतिरिक्त निरीक्षण अधिकारी, प्राधिकरण द्वारा निर्णित मापदंड को ध्यान में रखते हुए भांडागारपाल द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति जमा की पर्याप्तता भी देखेगा। निरीक्षण अधिकारी भंडारण शुल्को तथा अन्य के संबंध में किसानों को दी गई छूट का भी संदर्भ लेगा।
- (घ) डबल्यूडीआरए द्वारा निर्धारित बीमा कवरेज की पर्याप्तता को भी विशेष रूप से जाँचा जाएगा। यदि स्टॉक के लिए पॉलिसी, घोषणा आधार पर ली गई तो, स्टॉक के दैनिक मूल्यांकन की जाँच कर यह पुष्टि की जाएगी कि क्या इस मूल्य को कवर करने के लिए बीमा पॉलिसी पर्याप्त है। बीमा पॉलिसी की वैधता की जाँच भी की जाएगी। जहाँ अगले तीन माह में बीमा पॉलिसी समाप्त होने जा रही है, वहाँ उसका निरीक्षण रिपोर्ट में संदर्भ देते हुए भांडागारपाल को भी सूचित किया जाएगा।

8. सुरक्षा व्यवस्था:

भांडागारपाल जमाकर्ता के स्टॉक का संरक्षक है। वह एक जमानतदार के रूप में कार्य करता है। निरीक्षण अधिकारियों के लिए यह सुनिश्चित करना नितांत आवश्यक है कि डबल्यूडीआरए द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में जारी किए गए अनुदेशों का भांडागारपालों द्वारा समुचित पालन किया जाता है। निरीक्षण के दौरान कुछ प्रमुख बिन्दुओं को सावधानी पूर्वक देखा जाना आवश्यक है। विवरण इस प्रकार है:-

- I. एनडबल्यूआर अधिकृत अधिकारी द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित की गई है
- II. एनडबल्यूआर पुस्तिका, कैश बुक तथा अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज प्राधिकृत व्यक्ति की सुरक्षित कस्टडी में रखे गए हैं।
- III. वाच एंड वार्ड की व्यवस्था पर्याप्त है
- IV. सभी अंदर तथा बाहर जाने वाले स्टॉक का अंदर तथा बाहरी गेट रजिस्ट्रों उचित रूप से लेखा-जोखा रखा जाता है। भांडागार से बाहर जाने वाला स्टॉक उचित गेट पास द्वारा कवर किया जाता है।
- V. जमा/ डिलीवरी एसओपी के अनुसार होती है। गोदामों के अंदर तथा भांडागार परिसरो में उचित प्रकाश व्यवस्था है।
- VI. भांडागार पर्याप्त रूप से सही प्रकार के अग्निशमन उपकरणों से सुसज्जित है तथा समय पर रीचार्ज किए जाते हैं। महत्वपूर्ण उपकरण जैसे तौल स्केल, नमी मीटर, स्प्रेयिंग मशीन आदि चालू हालत में हों।
- VII. सुरक्षा गार्ड ड्यूटी रिकॉर्ड ठीक से बनाए रखा जाता है।

9. भांडागार के स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण का रिकॉर्ड

निरीक्षण अधिकारी इस बात कि पुष्टि करेगा कि क्या भांडागार स्वामित्व में अथवा किराए पर/ पट्टे पर है। यदि भांडागार किराए पर/ पट्टे पर लिए गए हैं तो पट्टा विलेख/ किराया एग्रीमेंट का सत्यापन किया जाएगा। निरीक्षण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि भांडागारपाल का भांडागारों पर प्रभावी नियंत्रण है जैसा कि निम्नलिखित में से एक दस्तावेज़ द्वारा प्रमाणित होता है:-

- (क) संबंधित भांडागार के लिए पट्टा विलेख अथवा किराया एग्रीमेंट की प्रति;
- (ख) उप-पट्टे के मामले में, पट्टा विलेख की प्रति जो यह दर्शाती है कि उप पट्टाकरण की अनुमति है तथा उप पट्टा की प्रति में लीज डीड द्वारा सब लीज की अनुमति होनी चाहिए तथा संबंधित भांडागार पर प्रभावी नियंत्रण प्रमाणित होना चाहिए।
- (ग) राजस्व साझाकरण व्यवस्था के मामले में, संबंधित भांडागार के संबंध में आवेदक द्वारा भांडागार की व्यवस्था तथा इसके प्रचालन की स्पष्ट जिम्मेदारी परिलक्षित होनी चाहिए।
- (घ) नगर निगम/ पंचायत/ स्थानीय निकाय की भूमि पर निर्मित भांडागार के लिए नगर निगम/ पंचायत/ स्थानीय निकाय जैसा भी मामला बनता हो, से आवेदक के पक्ष में वेयरहाउसिंग व्यवसाय चलाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र
- (ङ) संबंधित कृषि उत्पाद विपणन समिति या बोर्ड से पट्टा विलेख की प्रति जिसमें आवेदक के पक्ष में भूमि/ भांडागार का कानून कब्जा दर्शाया गया हो।
- (च) संबंधित राज्य सरकार द्वारा आबंटन पत्र की प्रतिलिपि जिसमें आवेदक के पक्ष में भूमि/ भांडागार का कानून कब्जा दर्शाया गया है।

10. शिकायत निपटान प्रणाली

निरीक्षण अधिकारी यह जाँच करेगा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अनुसार भांडागार में जमाकर्ताओं तथा हितधारकों की शिकायतों का निपटान करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) है। यह पिछले निरीक्षण के बाद भांडागार द्वारा प्राप्त शिकायतों की स्थिति का भी पुनर्विलोकन भी करेगा। शिकायतों को न निपटाने/ आधा अधूरा निपटाने कि घटनाओं को निरीक्षण रिपोर्ट में दर्ज किया जाएगा।

11. निरीक्षण चेकलिस्ट

- (क) निरीक्षण चेकलिस्ट को निरीक्षण का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। प्रश्नावली में सूचीबद्ध अनुक्रम रेकोर्डों की छानबीन तथा स्टॉक के सत्यापन में निरीक्षण अधिकारी की मदद करेगा तथा भांडागार की कार्य प्रणाली की सही तस्वीर प्राप्त कर सकेगा। यह उसे महत्वपूर्ण डेटा भी प्रदान करेगा ताकि वह भांडागार के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन कर भांडागार के कामकाज के किसी क्षेत्र की कमियों को ठीक करने उपायों का सुझाव देने सहित एवं भांडागार प्रबंधक तथा उसके कर्मचारियों को भांडागार के प्रभावी तथा कुशल परिचालन के लिए अर्थपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान कर सकेगा। यदि निरीक्षण अधिकारी यह पाता है कि निरीक्षण प्रारूप में भांडागार के काम काज का कोई पहलु कवर नहीं हुआ है तो

उन्हे उसका नोटिस देते हुए विसंगति नोट तथा निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख रिपोर्ट करना चाहिए।

- (ख) निरीक्षण अधिकारी को यह ध्यान रखना चाहिए कि सूचीबद्ध सभी प्रश्नों एवं बिन्दुओं के साथ ठीक से उत्तर दिये गए हैं तथा कुछ भी खाली नहीं छोड़ा गया है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि चेकलिस्ट में उन बिन्दुओं तथा दस्तावेजों को सूचीबद्ध किया गया है जिनका चेक किया जाना आवश्यक है। कुछ मामलों में सूचीबद्ध बिन्दु निरीक्षण के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए केवल एक प्रकार का ज्ञापन है ताकि किसी विशेष बिन्दु की अनदेखी न हो। कई सारे प्रश्न हो सकते हैं जिनके जवाब में निरीक्षण अधिकारी काम को अनुदेशों के अनुसार किया जा रहा पाकर, संतुष्ट होने पर केवल 'हाँ' कह सकता है। यह आवश्यक है कि ध्यान दिये जाने योग्य सभी बिन्दुओं के लिए पूरा विवरण दिया जाए ताकि डबल्यूडीआरए को आसानी से संदर्भ दिया जा सके।

12. विसंगति नोट जारी करना

- (क) निरीक्षण के अंत में निरीक्षण अधिकारी पाई गई विसंगतियों अथवा कमियों कि व्यख्या करेगा तथा नोटिस में आई हुई सभी विसंगतियों को शामिल करते हुए भांडागारपाल अथवा प्रतिनिधि को विसंगति नोट जारी करेगा तथा भांडागारपाल को निदेश देगा कि 10 कार्यदिवसों के अंदर प्राधिकरण को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
- (ख) निरीक्षण अधिकारी पूर्व में देखे गए गैर अनुपालन विसंगतियों एवं सुधारात्मक/ निवारात्मक कार्रवाई तथा उसके प्रभाव की समीक्षा करेगा तथा रिपोर्ट में उसे रेकॉर्ड करेगा।
- (ग) भांडागारपाल के साथ चर्चा के बाद समयबद्ध कार्य योजना के साथ गैर अनुपालन/ विसंगतियों और प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई को अलग शीट पर रिपोर्ट किया जाएगा। निरीक्षण अधिकारी निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट तैयार करेगा और निरीक्षण पूरा होने के पाँच कार्यदिवस के भीतर अथवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के अंदर प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाएगा कि निम्नलिखित सूचनाओं को शामिल करते हुए भांडागार से ही डबल्यूडीआरए को रिपोर्ट भेज दी जाए:-
- (i) पिछले निरीक्षण की समीक्षा
 - (ii) भांडागार का संरचनात्मक पहलू
 - (iii) समस्त एनडबल्यूआर की स्थिति
 - (iv) गुणवत्ता नियंत्रण पहलू
 - (v) सुरक्षा पहलू
 - (vi) निवल मूल्य, बीमा तथा प्रतिभूति जमा संबंधी अनुपालनों की स्थिति
 - (vii) शिकायत निवारण की स्थिति
 - (viii) सभी दस्तावेजों के साथ सभी कॉलमों से विधिवत भरी गई निरीक्षण चेकलिस्ट की प्रति
 - (ix) निरीक्षण के अंत में भांडागार को दी गई विसंगति नोट की प्रति

(घ) निरीक्षण के अंत में भांडागारपाल अथवा उसके प्रतिनिधि को निम्नलिखित घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे अथवा प्रमाणित करना होगा कि:-

(i) वह पूरे निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे तथा

(ii) निरीक्षण अधिकारी द्वारा उसे निरीक्षण प्रक्रिया के साथ साथ विसंगतियों अथवा गैर अनुपालन समझाए गए तथा

(iii) निरीक्षण अधिकारी ने उसे विसंगति नोट जारी किया है

13. निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना:-

निरीक्षण अधिकारी, निरीक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण, प्रेषण तथा वितरण के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगा:-

(क) निरीक्षण रिपोर्ट की मूल प्रति के साथ साथ विसंगति नोट, विशेष नोट, अनुलग्नकों तथा सहायक विवरणों की प्रतियाँ डबल्यूडीआरए के नामित अधिकारी को अग्रेषण पत्र के साथ भेजी जाएगी।

(ख) विशेष नोट में भांडागार एनडबल्यूआर की स्थिति, कार्यप्रणाली, निष्पादन, समस्याएँ तथा अन्य जोखिम कवर की जाएगी।

(ग) निरीक्षण रिपोर्ट की दूसरी प्रति, विसंगति नोट तथा अन्य दस्तावेज मौके पर भांडागार प्रबंधक को सौंपे जाए तथा 10 दिन के भीतर डबल्यूडीआरए को पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट भेजने के अनुरोध दिया जाएँ।

14. निरीक्षण के दौरान देखी गई विसंगतियों के सुधार पर अनुवर्ती कार्रवाई:-

जहाँ तक संभव हो, निरीक्षण अधिकारी स्टेशन छोड़ने से पहले अपनी उपस्थिति में विसंगतियों में सुधार करवाएँ तथा उसके विसंगति नोट में करें। इस बिन्दु को स्पष्ट करने के लिए कुछ सामान्य विसंगतियों तथा निरीक्षण अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई के बारे में नीचे दिया गया है:-

(i) यदि कुछ स्टॉक में भारी कीटग्रस्तता पाई जाती है तथा तुरंत फ्यूमिगेशन की आवश्यकता है तो वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी उपस्थिति में फ्यूमिगेशन शुरू कर दिया गया है

(ii) यदि कुछ मूल रिकॉर्ड जैसे स्टैकवार रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, जमाकर्ता लेजर, बीमा रजिस्टर में प्रविष्टियाँ अधूरी हैं, वह यह सुनिश्चित करें कि उनकी उपस्थिति में ये रिकॉर्ड अपटूडे किए गए हैं।

(iii) यदि कमियों को मौके पर ठीक नहीं किया जा सकता, निरीक्षण अधिकारी विसंगति नोट सूचीबद्ध करते समय भांडागारपाल को उन्हें 10 दिन के भीतर ठीक करने के लिए स्पष्ट अनुरोध दें

15. भांडागारपाल द्वारा अनुपालन:-

(क) भांडागारपाल विसंगति नोट प्राप्त होने के 10 कार्यदिवस के भीतर विसंगतियों में सुधार के लिए की गई कार्रवाई को स्पष्ट रूप से इंगति करते हुए बिन्दुवार अनुपालन रिपोर्ट डबल्यूडीआरए को भेजेगा।

16. डबल्यूडीआरए द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट की जाँच:-

- (क) डबल्यूडीआरए में संबंधित अधिकारी निरीक्षण रिपोर्ट तथा भांडागारपाल से प्राप्त अनुपालन रिपोर्ट की जाँच करेगा तथा उच्च जोखिम वाली विसंगतियों, पहले से संकलित विसंगतियों तथा, संकलित की जाने वाली विसंगतियों, निरीक्षण एजेंसी द्वारा किए गए निरीक्षण की गुणवत्ता तथा प्रस्तावित कार्रवाई की जाँच करेगा तथा अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विवरण डबल्यूडीआरए को प्रस्तुत करेगा।
- (ख) भांडागारपाल द्वारा अनुपालन रिपोर्ट देरी से प्रस्तुत करने के मामले में, जैसी आवश्यक कार्रवाई ठीक समझी जाएगी, शुरू की जाएगी तथा इस संबंध में भांडागारपाल को अनुस्मारक भेजे जायेंगे।
- (ग) डबल्यूडीआरए में संबंधित अधिकारी विभिन्न एजेंसियों को आबंटित निरीक्षण की तुलना में निरीक्षण की प्रगति को समीक्षा करेगा तथा कोई कमी देखे जाने पर डबल्यूडीआरए में संबंधित अधिकारियों के नोटिस में लाएगा।

17. निरीक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाना:-

(क) निरीक्षण की आवृत्ति:

डबल्यूडीआरए के साथ पंजीकृत सभी भांडागारों का वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा। हालांकि भांडागारों को प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण के लिए एनडबल्यूआर के अन्तर्गत आने वाले स्टॉक की मात्रा, निरीक्षण के दौरान पाई गई विसंगतियों की गंभीरता तथा हितधारकों, जन सामान्य की शिकायतों के आधार पर चुना जाएगा।

(ख) डबल्यूडीआरए द्वारा निरीक्षण:

आमतौर पर निरीक्षण, पैनल में रखी गई एजेंसियों को आबंटित किए जाएंगे। तथापि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार कुछ सामान्य निरीक्षण (पंजीकृत भांडागारों का 10 से 15% तक) प्राधिकरण के निरीक्षण अधिकारियों को भी आबंटित किए जा सकते हैं।

(ग) निरीक्षण कार्यक्रमों की योजना:

- (i) निरीक्षण किए जाने वाले भांडागारों के मासिक निरीक्षण कार्यक्रम तथा आगामी तिमाही के लिए एजेंसियों को सौंपे जाने वाले कार्यों को डबल्यूडीआरए का निरीक्षण प्रभाग तैयार करेगा तथा संबंधित निरीक्षण एजेंसियों/ डबल्यूडीआरए के निरीक्षण अधिकारियों को, जैसा भी मामला बनता हो, अगले माह की 15 तारीख तक भेज दिया जाएगा।
- (ii) एजेंसियों को कार्यक्रमों में आबंटन सावधानी बरती जाएगी ताकि जिनकी स्थापना संबंधित राज्य में हैं उसके अनुसार आबंटन हो सके तथा निरीक्षण कार्यक्रम प्राप्त करने का सभी एजेंसियों को समान अवसर उपलब्ध हो।
- (iii) निरीक्षण कार्यक्रम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा तथा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय तथा रीति के अलावा भांडागारपाल को अग्रिम में कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

(घ) निरीक्षण के लिए समय सूची:

(i) विभिन्न भंडारण क्षमता के भांडागारों के निरीक्षण के लिए समय सूची इस प्रकार होगी:

एनडबल्यूआर के अंतर्गत कवर किए गए स्टॉक की मात्रा (मी. टन में)	दिनों की संख्या की सीमा
2500 तक	01
2501 से 5000	02
5001 से 10000	03
10001 से 15000	04
15000 से ऊपर	05

(ii) उपर्युक्त समय अनुसूची सिर्फ एक दिशानिर्देश है। एनडबल्यूआर के अंतर्गत कवर किए गए स्टॉक की वास्तविक मात्रा, कार्यों की मात्रा/ समस्याओं आदि को ध्यान में लाते हुए निरीक्षण कम समय में भी पूरा किया जा सकता है। यदि और समय की आवश्यकता पड़ती है तो इसके लिए डबल्यूडीआरए की अनुमति प्राप्त की जा सकती है।